¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉªÉEòÉ
+MÉºiÉ 2014

|ÉÉvÉ ºÉ¨{ÉÉnEò
®PÉ´ÉÒ®) ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É

ºÉ¨Éx´ÉªÉ
ºÉ®¶É ÊiÉ´ÉÉ®Ò

ºÉ¨{ÉÉnEò
®ÉVÉÒ´É ÊiÉ´ÉÉ®Ò

={É ºÉ¨{ÉÉnEò
®VÉxÉÉÒ ÉSÉiÉ±É

´ÉÉºÉÉ<]
+Éi¨ÉÉ®É¨É ¶É¨ÉÉÇ

Eò¨{ÉÉäÊVÉÆMÉ
+±{ÉxÉÉ ®É`Éè®

+ÉEò±{ÉxÉ
+É±ÉÉäEò MÉÖ{iÉÉ
Ê´ÉxÉªÉ ¶ÉÉEòªÉ ®ÉªÉ

BEò |ÉÊiÉ : nºÉ ¯{ÉªÉ
´ÉÉÌ¹ÉEò : nÉä ºÉÉè ¯{ÉªÉ

ºÉ¨{ÉEÇò
¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉªÉEòÉ
¨ÉvªÉ|Én¶É ¨ÉÉvªÉ¨É
40, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò IÉäjÉ, +®äÉ Ê½±É
¦ÉÉä{ÉÉ±É-462011
¡òÉäxÉ : 2764742, 2551330
¡òèCºÉ : 0755-4228409

Eò{ÉªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ºÉnºªÉiÉÉ ¶ÉÖ±Eò Eäò ÊãÉB +{ÉxÉÉ bÉ}]/
¨ÉxÉÒ+Éb®ú ¨ÉvªÉ|Én¶É ¨ÉÉvªÉ¨É, |ÉÉ{iÉ Eò®äú ºÉä ¦ÉäVÉå*

¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉªÉEòÉ ¨Éå |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ±ÉäJÉÉä Eäò +{ÉxÉä ÊxÉVÉÒ ÊHòSÉÉ®ú ½è, <ºÉºÉä ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ ºÉ½¨ÉÊiÉ +ÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ½Ó ½è*

<ºÉ +Eò ¨É

स्व-सहायता समूह सम्मेलन

स्व-सहायता समूह सम्मेलन में महिलाएं।

आजीविका : मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-आजीविका के स्थायी अवसर 3
साक्षात्कार : स्थायी आजीविका की ओर बढ़ते कदम 8
आलेख : विशेष : आजीविका से समृद्ध होता समाज 11
अच्छी पहल : समृद्धि की ओर... 13
आजीविका : आजीविका की पहचान और संचालन 14
पंचायत दर्पण : विकास कार्यों की जानकारी हो रही हैं अपडेट 19
आजीविका : मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम - रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम 20
खबरें विशेष : राज्य आजीविका फोरम ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि की पहल 22
आजीविका : आजीविका मिशन के सफल क्रियान्वयन में ग्राम सभाओं की भूमिका 24
पंचायत निर्वाचन : मतदान केन्द्रों की स्थापना तथा चयन के लिये मार्गदर्शी निर्देश 45
पंचायत गजट : ग्राम पंचायत सचिवों के लिए नवीन स्थानान्तरण नीति 48

É|ÉªÉ {ÉÉ`BEòÉ!

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास और ग्रामीणों के उन्नयन के लिए राज्य शासन द्वारा कई अभिनव कार्य किये जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को स्वसहायता समूहों से जोड़कर, प्रशिक्षण देकर उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का कार्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश भर में किया जा रहा है। मिशन द्वारा संचालित स्वसहायता समूह का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनके लिए जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि करना भी है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी को हमने 'आजीविका' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वसहायता समूह निर्माण के जरिए ग्रामीणों के उत्थान की दिशा में सफल प्रयास हो रहे हैं। गरीब ग्रामीण परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। 'साक्षात्कार' स्तंभ में हमने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से ग्रामीण आजीविका मिशन के इन्हीं प्रयासों पर चर्चा की। राज्य सरकार द्वारा स्वसहायता समूह संवर्धन नीति और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए राज्य आजीविका फोरम का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य स्वसहायता समूहों और संगठनों के सुदृढ़ीकरण का कार्य करना है। 'आलेख : विशेष' स्तंभ में हमने राज्य आजीविका मिशन के इन्हीं कार्यों को प्रकाशित किया है। ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वसहायता समूहों के जरिए ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वसहायता समूहों ने ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को नई दिशा दी है इस जानकारी को हमने 'अच्छी पहल' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में आजीविका के लिए विकास की समस्त गतिविधियाँ समुदाय को साथ में रखकर की जाती हैं। स्वसहायता समूहों द्वारा समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों, बाधाओं और अवसरों को ध्यान में रखकर आजीविका योजनाएं बनायी जाती हैं। इसकी जानकारी को 'आजीविका' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मार्च 2014 तक 3 लाख 59 हजार ग्रामीण परिवारों को स्वसहायता समूहों से जोड़कर उनके आर्थिक संवर्धन के प्रयास किये गए हैं यह जानकारी मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम की बैठक में दी गई। इस खबर को हमने 'खबरें विशेष' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों के लिए मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में जारी समाचार को 'पंचायत निर्वाचन' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के लिए नई स्थानान्तरण नीति बनायी गयी है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को 'पंचायत गजट' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है।

(®PÉ EÖ®ú ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É)

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

आजीविका के स्थायी अवसर

समावेशी विकास की ओर बढ़ते मध्यप्रदेश का विकास तभी संभव है जब ग्रामीण भारत समृद्ध हो। अतः ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित कर आजीविका के स्थाई अवसर उपलब्ध कराने के लिये म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना की गयी। मिशन का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। मिशन का लक्ष्य है गरीब परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार तथा कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना और, निर्धनता कम करना और मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाना। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित कर संपूर्ण देश में मिशन मोड के रूप में कार्यान्वित किया गया। एनआरएलएम में विभिन्न स्तरों पर समर्पित सहायता, संरचनाओं तथा संगठनों के माध्यम से सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंच सुनिश्चित करने, उनकी क्षमता में वृद्धि करने, वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने, स्व-प्रबंधित आत्मनिर्भर संगठनों का गठन, रोजगार से जोड़ने, लाभकारी स्व-रोजगार और उद्यमों के माध्यम से गरीबी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन राज्यों को अपनी परिस्थितियों और रणनीति के अनुसार करना है। कार्यक्रम का वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75 तथा 25 प्रतिशत की राशि के आधार पर किया जा रहा है। एनआरएलएम ने देश में 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6.0 लाख गांवों में 7 करोड़ बीपीएल परिवारों को उनके स्वतः प्रबंधित एस.एच.जी. तथा उनके परिसंघों और आजीविका क्रियाकलापों में सहायता देकर उन्हें एकजुट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शुरू में, एनआरएलएम के तहत प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूह में शामिल किया जा रहा है। बाद में महिलाओं को, समूहों के परिसंघ, उनके बड़े संगठन और किसान संघों, दुग्ध उत्पादक समितियों, सहकारिताओं, बुनकर परिसंघों आदि के रूप में संगठित किया जायेगा। और फिर सभी गरीब और अतिगरीब परिवारों को शत-प्रतिशत शामिल करते हुए यह ध्यान रखा जायेगा कि 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति-जनजाति, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक तथा 3 प्रतिशत विकलांग लाभार्थी अवश्य हों।

जन संस्थाओं को बढ़ाना

गरीबों के विचारों पर ध्यान देने और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने तथा बाहरी एजेंसियों

सोया आत्मविश्वास जागा

शहडोल - संकुल पंचगांव, ग्राम अंतरा

ग्रामों में निवासरत परिवारों के बेरोजगार युवक युवतियों को म.प्र. शासन की रोजगारोन्मुखी नीति के तहत रोजगार से जोड़ने का कार्य भी मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से 31 जनवरी 2014 को मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल पंचगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम अंतरा के कंकाली देवी मंदिर परिसर में एक संकुलस्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में रुक्मणी बैगा ने "स्पेण्टेक्स इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. पीथमपुर-धार" नामक कंपनी में साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार उपरांत रुक्मणी बैगा का चयन "स्पेण्टेक्स इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. पीथमपुर-धार" में ट्रेनी आपरेटर के पद पर किया गया। वर्तमान में रुक्मणी बैगा "स्पेण्टेक्स इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. पीथमपुर-धार" में ट्रेनी आपरेटर के पद पर कार्य कर रही है। वर्तमान समय में रुक्मणी को 4800 रुपये मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है और यदि वह ओवर टाइम भी करती है तब उसे 24 रुपये प्रति घण्टे की दर से अलग से भुगतान प्राप्त होता है। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिये आवास एवं बिजली उपयोग की व्यवस्था निःशुल्क प्रदाय करती है तथा भोजन के लिये कंपनी की अपनी कैंटीन है जहां कर्मचारी 13 रुपये में एक वक्त का भोजन प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा कंपनी अपने कर्मचारियों को ई.पी.एफ. की सुविधा दे रही है। चयन उपरांत रुक्मणी बैगा अपने घर से इतनी दूर धार जिले के पीथमपुर जाने में हिचकिचा रही थी तब मिशनकर्मियों ने रुक्मणी के परिवार वालों से मुलाकात की तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी बेटी पीथमपुर-धार में रहकर सकुशल तथा सुरक्षित कार्य करेगी। इसके अलावा रुक्मणी के परिवार के लोगों को यह भी बताया गया कि रुक्मणी को पीथमपुर तक पहुंचाने मिशन के एक कर्मचारी भी जायेंगे। इन बातों से रुक्मणी का आत्मविश्वास जागा एवं उसके मन का भय समाप्त हुआ और वह अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिये पीथमपुर-धार जाने को तैयार हो गयी। रुक्मणी ने 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की है उसके माता-पिता खेती एवं मजदूरी करने का कार्य करते हैं। रोजगार मेले में चयनित होने से पूर्व रुक्मणी स्वयं भी खेतों में मजदूरी करने का कार्य करती थी और उसकी तथा उसके परिवार की आजीविका का स्त्रोत मजदूरी करना था।

आज रुक्मणी का आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ ही सामाजिक स्तर भी और बेहतर हुआ है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताते हुए रुक्मणी भावुक होकर बतलाती है कि "मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक दिन मैं अपने घर से इतनी दूर जाकर नौकरी कर पाऊंगी तथा अपने और अपने परिवार का जीवन बेहतर कर सकूंगी।"

● **हेमलता हुरमाड़े**

पर उनकी निर्भरता कम करने के लिये समुदाय आधारित समूह-संगठनों के गठन तथा मजबूती के प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें स्व-सहायता समूह और स्व-सहायता समूहों के ग्रामस्तरीय परिसंघों को बनाकर उनको मजबूती प्रदान की जा रही है। सरकारी प्रयासों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों, शिक्षण-प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण से जुड़ी संस्थाओं के सहयोग से इन संस्थाओं की मजबूती एवं उनके बेहतर परिणामों के प्रयास किये जायेंगे।

आजीविका मिशन के प्रमुख आधार

- गरीबों के लिये विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना।
- बाहरी क्षेत्र में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना।
- स्व-रोजगार तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।

लक्षित वर्ग

- महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अधिक उपेक्षित वर्ग, खासकर उपेक्षित जनजातीय समूहों, एकल महिला और महिला प्रमुख परिवारों, निःशक्त, भूमिहीन, पलायन करने वाले श्रमिक और अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास

सभी स्तरों तथा सभी पक्षों के लिये क्षमता निर्माण के प्रयास किये जायेंगे। जैसे - संस्थाओं का प्रबंधन, बाजार से संबद्धता, आजीविका प्रबंधन, ऋण की उपलब्धता, ऋण उपभोग की क्षमता निर्माण तथा ऋण साख बढ़ाना, बेहतर आय अर्जन गतिविधियों का संचालन, स्व-सहायता समूहों की मजबूती, परिसंघों का निर्माण तथा उनकी मजबूती, बैंकों से समन्वय एवं गतिविधि क्रियान्वयन, गरीबों को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी और उनसे लाभ प्राप्त करना, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से समन्वय एवं सहयोग तथा इनके अलावा सभी उपयोगी एवं आवश्यक विषयों पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन का कार्य किया जायेगा।

आजीविका

मिशन के अंतर्गत मुख्य ध्यान कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में गरीबों की आजीविका संबंधी मौजूदा कार्य को स्थाई बनाना तथा बढ़ावा देना है। मिशन प्रत्येक परिवार की आजीविका के संपूर्ण पहलू की जांच करता है व्यक्तिगत, परिवार स्तर पर अथवा सामूहिक रूप में तथा दोनों स्तरों पर कार्य के लिये सहायता उपलब्ध करता है।

समूहों को आय के स्त्रोत और रोजगार, व्यय से बचाव जोखिम प्रबंधन, ज्ञान कौशल, परिसंपत्तियां और अन्य संसाधन संवर्द्धन के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनका क्षमतावर्द्धन किया जाता है ताकि वे सामूहिक खरीद, समूह मूल्य संवर्द्धन और अपने उत्पाद की सामूहिक बिक्री कर सकें जिससे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। मिशन विशिष्ट आजीविका, संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिये भी सहायता प्रदान करता है। जैसे- खेती, पशुधन, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र, गैर-कृषि और सेवा क्षेत्र।

सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (सी.आर.पी.)

समुदाय के बीच से ही समूह अवधारणा के प्रचार-प्रसार, समूह अभिलेख संधारण बैंक संयोजन, सामाजिक जन जागृति, समूह तथा परिसंघों की मजबूती, समूह बैठकों का आयोजन, संचालन एवं क्षमता निर्माण, समूहों की आय अर्जन गतिविधियों में सहयोग, आदि कार्यों के लिये सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों का चिन्हांकन एवं क्षमतावर्द्धन किया जाता है।

कौशल विकास तथा प्लेसमेंट

मिशन ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिये

कौशल की कमी को तथा शुरुआती बाधाओं को दूर करने तथा अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ऊँची मजदूरी, रोजगार की सुविधा देने के लिए प्रयासरत है।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

मिशन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के सभी जिलों में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपने क्षेत्र के युवक-युवतियों के नाम इन केन्द्रों तक पहुंचाये जाते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बैंक उन्हें स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराती है। इन केन्द्रों पर युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने के उपरांत स्वरोजगार स्थापित करने के लिये बैंकों से जोड़ा और औद्योगिक संस्थाओं में काम दिलाने के लिये

औजारों से तैयार की नियमित आय

खूब से खूब, बेहतर से बेहतर तलाश कर, नदी जो मिल जाये, तो समुन्दर तलाश कर। कुछ इसी तरह का जज्बा लिये ग्राम तुईयापानी (फगनीटोला) के आशीष उइके ने अपनी गरीबी को दूर करने हेतु गांव से निकलकर न सिर्फ प्लम्बर का प्रशिक्षण प्राप्त किया, अपितु "होम सिकनेस" से पीछा छुड़ाते हुए सिंगरौली स्थित कम्पनी में नौकरी हासिल की। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मण्डला अंतर्गत परियोजना सहायता दल पिण्डरई के ग्राम तुईयापानी (फगनीटोला) निवासी श्री विसराम सिंह उइके के छोटे पुत्र श्री आशीष उइके ने परिवार में मौजूद गरीबी से जूझते हुए अपनी स्नातक की पढ़ाई मण्डला कॉलेज से पूरी करते हुए पढ़ाई के बीच खाली समय में कृषि कार्य में अपने पिता का सहयोग भी किया। संकुल पिण्डरई के समन्वयक श्री रविन्द्र डेहरिया ने बताया, कि "ग्राम में युवाओं के सर्वे के दौरान इस युवक से मुलाकात हुई। युवक में गरीबी से बाहर आने का गजब का जज्बा दिखा। उसके जज्बे को देखकर उसका नाम प्लम्बर के प्रशिक्षण के लिये दर्ज किया गया। श्री डेहरिया आगे बताते हैं, कि सितम्बर 2013 में जिला कार्यालय से प्लम्बर के प्रशिक्षण के लिये नाम मांगे जाने पर आशीष का नाम जिला कार्यालय भेजा गया तथा 30 सितम्बर 2013 को कौशल उन्नयन एवं प्लेसमेंट के माध्यम से 60 दिनों के प्रशिक्षण के लिये नवानगर सिंगरौली स्थित दैनिक भास्कर फाउण्डेशन में भेजा गया।

लगभग दो माह पश्चात प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटे आशीष ने संकुल कार्यालय आकर वहां के अच्छे वातावरण तथा वहीं रहकर कार्य करने की इच्छा जाहिर की। कहा जाता है, कि "मन में लगन जागती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं।" इसी बात को चरितार्थ करते हुए आशीष ने बताया, कि प्रशिक्षण के पश्चात लगभग 25 दिनों के बाद मेसर्स ए.के. इंटरप्राइजेज, सिंगरौली" से उसके पास फोन आया, कि यदि आप यहां पर कार्य करने के इच्छुक हो, तो हमारी कम्पनी में ज्वाइन कर लो। जहां उसे 6 से 7 हजार रुपये मासिक प्राप्त होंगे, रहने व खाने की व्यवस्था कम्पनी खर्चे पर उपलब्ध करायेगी। आशीष के लिये ये फोन जैसे किसी वरदान से कम नहीं था। उसने संकुलकर्मियों और अपने परिवार में सलाह मशविरा किया तो सभी ने उसका हौसला बढ़ाया। अपने हुनर व हौसले के सहारे आशीष ने कम्पनी ज्वाईन कर ली।

आशीष से उसके मोबाइल नंबर 8269798030 पर बात करने पर उसने बहुत ही खुश होकर बताया, कि आजीविका मिशन की बदौलत ही वह आज अपने पैरों पर खड़ा हो सका है। उसको वहां पर प्रशिक्षण शिक्षा विभाग का कार्य सौंपा गया है, जिसे वह पूरी लगन और उत्साह से कर रहा है।

● **जगदीश पटेल**
म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
जिला मण्डला, म.प्र.

प्रयास किया है।

ग्रामीण गरीबों का पंचायती राज, मानव संसाधन विकास, कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वस्त्र, महिला एवं बाल विकास, वित्तीय सेवा, पर्यटन इत्यादि मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ तालमेल किया जा रहा है। इसके अलावा मिशन के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों द्वारा गरीबों को संगठित किए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि कार्यक्रमों के साथ तालमेल के जरिए जीवन, परिसंपत्तियों और स्वास्थ्य के नुकसान की स्थिति में ग्रामीण गरीबों की सर्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पहल की जा रही है।

उपलब्धि

- लगभग 4 लाख परिवारों को 36 हजार स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया।
- स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों के लिए बैंक शाखाओं से 305 करोड़ रुपये का ऋण दिलाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों के लगभग 70 हजार बेरोजगार युवाओं को रोज़गार मेलों के माध्यम से जॉब ऑफर उपलब्ध कराए गये। लगभग 1 लाख युवक-युवतियों को रोज़गार तथा स्वरोज़गार से जोड़ा गया है।
- 43 हजार से अधिक कृषकों को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन से जोड़ा गया।
- सब्जियों के विक्रय के लिए समूहों द्वारा 53 आजीविका फ्रेश संचालित की जा रही हैं।
- 1,685 ग्राम संगठन बनाए गए।
- 5,500 स्व-सहायता समूहों को 25 करोड़ रुपये की राशि आजीविका आदि गतिविधियों के लिए सामुदायिक निवेश तथा वंचित वर्ग के लिए निवेश के रूप में उपलब्ध करायी गयी।

• **अमित खरे**

आर्थिक सशक्तीकरण के सफल प्रयास

मध्यप्रदेश के रीवा और रायसेन जिले में ऐसी महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाने की कोशिशों में सार्थक सफलता मिली है। रीवा जिले में गरीब ग्रामीणों के जीविकोपार्जन के लिए एक ऐसी गतिविधि की आवश्यकता थी, जिससे ग्रामीणों का पलायन रोका जा सके। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वारा इस दिशा में सफल प्रयास किये गये हैं। यह कोशिश की गई कि उन्हें ऐसा स्थायी रोजगार आसानी से उपलब्ध हो, जिससे पूरे वर्ष उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो और सुनिश्चित आजीविका मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में परियोजना ने ग्रामीण अंचलों में महिला स्व-सहायता समूहों की मदद से अगरबत्ती उद्योग लगाने की पहल की है।

रीवा जिला म.प्र. शासन की परियोजना डीपीआईपी अंतर्गत जिलों में से एक है। जिले के 02 विकासखण्ड रीवा एवं रायपुर कर्चुलियान के 02 ग्राम खीरा एवं जोरी की स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों से अगरबत्ती निर्माण कार्य से जुड़ने की प्रेरणा दी गई।

अक्षर अगरबत्ती स्वायत्त सहकारी समिति : अगरबत्ती निर्माण कार्य की शुरुआत परियोजना द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं को हस्त निर्मित अगरबत्ती निर्माण के प्रशिक्षण के साथ हुई। स्व-सहायता समूहों की लगभग 180 महिलाओं को यह प्रशिक्षण एक निजी संस्था द्वारा प्रदाय किया गया जो महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण के प्रशिक्षण देने के साथ ही उनके द्वारा तैयार अगरबत्ती का क्रय करती हैं इससे महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण में रुचि उत्पन्न हुई। स्व-सहायता समूहों की लगभग 180 महिलाओं द्वारा अक्षर अगरबत्ती स्वायत्त सहकारी समिति का गठन किया गया। प्रारंभ में जोरी एवं खीरा केन्द्र में कच्ची अगरबत्ती का निर्माण किया जाता था जो विभिन्न व्यापारियों को विक्रय किया जा रहा था। शुरुआती दौर में कच्ची अगरबत्ती निर्माण से प्रत्येक महिला सदस्य को रुपये 3500 मासिक आय प्राप्त होने लगी। शुरुआती सफलता को देखते हुये समिति की महिलाओं ने निर्णय लिया कि कच्ची अगरबत्ती के साथ-साथ सुगंधित अगरबत्ती का निर्माण कर सीधे ही नजदीकी बाजार में विक्रय करेंगी। इस पहल की विधिवत शुरुआत जोरी ग्राम से की गयी, महिलाओं द्वारा निर्मित एवं विपणन के लिये तैयार अगरबत्ती को "वातजातम् नमामि" ब्राण्ड के नाम से उतारा गया इस प्रयास के फलस्वरूप जहां समिति को रुपये 20 हजार मासिक अतिरिक्त आय हुयी वहीं दस महिलाओं को सेंटिंग एवं पैकेजिंग में रोजगार प्राप्त हुआ। इस ब्राण्ड का विमोचन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती अरुणा शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

स्थायी आजीविका की ओर बढ़ते कदम

मध्यप्रदेश के समावेशी विकास तथा समृद्ध और सम्पन्न प्रदेश निर्माण के लिए जरूरी है कि प्रदेश के हर जन को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हों, हरेक को रोज़गार मिले। इसी लक्ष्य के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आजीविका कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूह निर्माण की दिशा में अभिनव पहल की गयी है। इससे आर्थिक उत्थान की नई इबारत लिखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों के कदम रोज़गार से स्थायी आजीविका की ओर बढ़ रहे हैं। प्रस्तुत हैं आजीविका और आर्थिक उत्थान को लेकर मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग श्री गोपाल भार्गव से मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए श्रीमती रंजना चितले की हुई बातचीत के अंश-

● ***मध्यप्रदेश के विकास और विकसित मध्यप्रदेश निर्माण के लिये प्रदेशवासियों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके लिये आपके विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?***

●● हमने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं के लिए आजीविका के अच्छे अवसर उपलब्ध कराये हैं। गाँवों के निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित किया गया, उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये और ग्राम संगठन गठित किये जा रहे हैं।

हमने स्व-सहायता समूहों को चक्रीय कोष सामुदायिक निवेश निधि और वंचित वर्ग के लिये निवेश की राशि उपलब्ध कराई है। साथ ही गरीब परिवारों के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और उसके लाभ के अवसर उपलब्ध कराये हैं।

● ***आप अपने लक्ष्य को किस तरह प्राप्त कर पायेंगे?***

●● देखिए हमारा संकल्प है प्रदेश के गरीब और अतिगरीब को रोजगार दिलाना, आजीविका उपलब्ध कराना इसके लिए प्रदेश में म.प्र. राज्य आजीविका मिशन की स्थापना की गयी जिसका मूल उद्देश्य है प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के सभी निर्धन परिवारों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करना और उनका विकास कराना। बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास करना और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराना। सरकार इन परिवारों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण के लिये तब तक मदद करेगी जब तक कि वे गरीबी के कुचक्र से बाहर न आ जायें।

● ***इसका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है?***

●● मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सघन रूप से यह कार्य किया जा रहा है जिसमें सबसे पहले चिन्हित जिलों में समुदाय की

सहभागिता से गरीब परिवारों की पहचान कराई गयी है। फिर अतिगरीब और गरीब श्रेणी के परिवारों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित किया जा रहा है। इन समूहों को विभाग द्वारा निवेश की राशि उपलब्ध कराई जाती है। समूहों की जरूरत अनुसार बैंक से आजीविका कार्यों के लिये ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। पंजीबद्ध किये गये बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

● ***ग्रामीण आजाविका मिशन की प्रगति से क्या आप संतुष्ट हैं?***

●● आजीविका मिशन के माध्यम से परिणाममूलक कार्य हुए हैं अब तक हमने लगभग 4 लाख निर्धन परिवारों को 36 हजार स्व-सहायता समूहों के रूप में जोड़ा है। लगभग 1600 ग्राम संगठन के सफल प्रयास हुए हैं। इन स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों के लिये बैंक से 400 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। बैंक ऋण के भुगतान के लिये सरकार ब्याज अनुदान भी दे रही है।

● ***क्या ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिये भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं?***

●● हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने के लिए संकल्पित है। संकल्प 2013 और दृष्टिपत्र 2018 में भी यह स्पष्ट है। इन्हीं प्रयासों के चलते ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों के लगभग 70 हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से जॉब ऑफर उपलब्ध कराए गये हैं। लगभग 1 लाख 70 हजार बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

● ***म.प्र. को विकसित करने और गरीबी दूर करने की दिशा में कई प्रयास किये जा रहे हैं ऐसे में म.प्र. राज्य आजीविका मिशन अन्य कार्यक्रमों से अलग कैसे है?***

●● जैसा कि मैंने पहले बताया प्रदेश में मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी हटाने के लिये निर्धन परिवारों की महिलाओं के सशक्त संगठन - स्व-सहायता समूह तथा ग्राम संगठन, गठित किये जा रहे हैं। ये संगठन गरीब तबके द्वारा ही चलाये जा रहे हैं। इन्हीं में से ही स्त्रोत व्यक्ति चिन्हित होंगे, जो मिशन के कार्यों को आगे बढ़ायेंगे। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से होगा। सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं पर एक साथ काम किया जा रहा है। इसमें समूहों और उनके संगठनों को सशक्त करने, ग्राम स्तरीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित तथा प्रशिक्षित करने के साथ सभी स्तर पर प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ये सभी कार्य इस मिशन को अन्य कार्यक्रमों से अलग करते हैं।

● ***अभी वर्तमान में इसका कवरेज क्या है?***

●● प्रदेश के 25 जिलों के 99 विकासखण्ड, 12372 ग्रामों में सघन कार्य तथा 26 जिलों के 214 विकासखण्ड, 39745 ग्रामों में गैर सघन कार्य किया जा रहा है। समुदाय की भागीदारी से जल्द ही सघन विकासखण्डों से गैर सघन विकासखण्डों में चरणबद्ध रूप से कार्य किया जावेगा।

● ***म.प्र. में आजीविका के लिये चलाया जा रहा डीपीआईपी (वर्ल्ड बैंक कार्यक्रम) 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त हो रहा है, इसका प्रदेश विकास और आजीविका में क्या योगदान रहा?***

●● मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास अंतर्गत गरीबों तक पहुँच, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ही जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 4 लाख महिलाओं को संगठित कर 34800 स्व सहायता समूहों तथा 3972 ग्राम संगठनों का गठन किया गया है और विशेष उपलब्धि यह है कि गठित समूहों द्वारा 36.02 करोड़ रुपये की बचत की गई है। समूहों की विभिन्न गतिविधियों के लिये 317 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। अच्छी बात यह है कि 18 उत्पादक कंपनियों का गठन भी किया गया है। इन कंपनियों का टर्न ओवर पिछले वर्ष लगभग 140 करोड़ रुपये रहा है। इसी के साथ 30000 बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। 1 लाख 34 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

● ***क्या आप डीपीआईपी की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं?***

●● हाँ, डीपीआईपी अंतर्गत किये गये कार्य निश्चित रूप से सराहनीय हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों का विकास करते हुए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। कार्यक्रम अंतर्गत किये गये कार्यों

का प्रभाव निश्चित ही भविष्य में व्यापक रूप से दिखाई देगा।

- ***आजीविका प्रयासों के चलते आपके विभाग द्वारा क्या कृषि के क्षेत्र में कार्य किये गये हैं?***

●● हां, सरकार ने आजीविका मिशन के द्वारा कृषि की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ निर्धन कृषक परिवारों को उपलब्ध कराये जाने में मदद की है। कृषि में नई तकनीक, नई जानकारी तथा वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के लिये प्रशिक्षण और क्षमतावर्द्धन का कार्य किया जा रहा है। उन्नत बीजों का उपयोग, विस्तार के लिये कृषक बीज समितियां गठित की गई हैं, साथ ही सब्जियों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, और उत्पादों के विक्रय के लिये संकुल स्तर पर 110 आजीविका फ्रेश प्रारंभ किये गये है। महिला किसान सशक्तीकरण कार्यक्रम के माध्यम से महिला किसानों को नई जानकारी व नई तकनीक और उन्नत खेती के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक 80 हजार से अधिक कृषकों को व्यवसायिक सब्जी उत्पादन से जोड़ा जा चुका है।

- ***पंचायिका के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?***

●● मध्यप्रदेश के सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधि और आमजन म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महत्व को समझें। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि मिशन अमले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी स्तर पर सफलता के लिये प्रयास किये जायें, यदि यह संभव हुआ तो निश्चित ही समाज में परिवर्तन दिखाई देगा और मध्यप्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा।

महिला स्व-सहायता समूह सम्मेलन में मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग श्री गोपाल भार्गव।

आजीविका से समृद्ध होता समाज

"ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों के मज़बूत स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन गठित करने के लिए 15 जिलों के 53 जनपदों में "जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना" तथा सभी जिलों में "ग्रामीण आजीविका मिशन" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में प्रदेश में 448 रोज़गार मेले आयोजित कर 83540 युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये गये।"

एल.एम. बेलवाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति और रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए "राज्य आजीविका फोरम" का गठन किया गया है जो कि एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति के तहत समूहों तथा उनके संगठनों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाता है। रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोज़गार उपलब्ध कराने के अलावा रोज़गार के इच्छुक युवाओं को कार्य के अवसर पूरे राज्य में समय-समय पर रोज़गार मेले आयोजित कर कार्य के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2013-14 में प्रदेश में 448 रोज़गार मेले आयोजित कर 83540 युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए गये।

विभाग द्वारा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों के मज़बूत स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन गठित करने के लिए 15 जिलों के 53 जनपदों में "जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना" तथा सभी जिलों में "ग्रामीण आजीविका मिशन" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शहडोल, अनूपपुर, मण्डला, डिण्डौरी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, श्योपुर एवं बालाघाट (दो विकास खण्ड) में सघन रूप से मिशन का कार्य किया जा रहा है।

"जिला गरीबी उनमूलन परियोजना" और "ग्रामीण आजीविका मिशन" के अंतर्गत गरीब एवं अति गरीब परिवारों की एक-एक महिला को सम्मिलित कर 10 से 20 महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है जिनके द्वारा नियमित रूप से पंचसूत्र का पालन करने पर उन्हें रिवॉल्विंग फण्ड तथा आजीविका कार्यों में निवेश इस राशि उपलब्ध कराई जाती है। इन समूहों द्वारा अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सूक्ष्म निवेश योजनाएँ बनाकर बैंकों में प्रस्तुत की जाती हैं जिसके आधार पर उन्हें ऋण उपलब्ध होता है तथा समूह के सदस्य उपलब्ध ऋण को आवश्यकतानुसार आपस में बांट कर अपनी गतिविधियों को सुदृढ़ करते हैं तथा निर्धारित समय पर किश्तों की राशि ब्याज सहित वापस बैंकों में जमा कर नये ऋण के प्रकरण बैंकों में प्रस्तुत करते हैं।

ग्राम स्तर पर गठित स्व-सहायता समूहों का ग्राम स्तर पर संगठन बनाया जाता है तथा इस संगठन में ग्राम स्तरीय उप समितियाँ अलग-अलग विषयों में गठित की जा रही हैं। ग्राम संगठन की नियमित बैठकें होती हैं जिनमें विभिन्न विषयों पर एजेन्डा अनुसार चर्चाएँ होती हैं तथा कार्यवाही विवरण निर्धारित पंजी में लिखा जाता है। ग्राम संगठन में विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है तथा समूहों के सशक्तीकरण पर ध्यान दिया जाता है।

"जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना" एवं "मिशन" के अंतर्गत ग्राम स्तरीय स्त्रोत व्यक्तियों का चयन कर उन्हें सशक्त बनाने की कार्रवाई की जा रही है ताकि गरीबी उन्मूलन में वे सार्थक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इनके द्वारा नये ग्रामों में समूह बनाने के लिये महिलाओं को प्रेरित करना, उन्हें पंचसूत्र के महत्व को समझाकर इनका पालन कराना एवं आजीविका सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से अवगत कराने का कार्य किया जा रहा है। इन समूह स्त्रोत व्यक्तियों को लगातार प्रशिक्षित किया जाता है तथा उन्हें समय-समय पर राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर भी विभिन्न प्रकार के कार्यों एवं प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने के लिए भेजा जा रहा है।

ऐसे ग्रामीण बेरोजगार युवा जो रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें रोज़गार के अवसर लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिये ग्रामीण युवाओं को निम्न तीन श्रेणियों में बांटा जाता है :-

- जिन्हें प्रशिक्षित कर विभिन्न प्रतिष्ठानों में (प्रदेश के भीतर एवं प्रदेश के बाहर) कार्य के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।
- जिन्हें रोज़गार मेलों के माध्यम से बिना प्रशिक्षण दिलाए विभिन्न कंपनियों, प्रतिष्ठानों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हैं।
- जो युवा अपने गांव अथवा क्षेत्र में स्वयं का रोज़गार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें जिलों में स्थापित आरसेटी के माध्यम से उनकी रुचि के विषय में प्रशिक्षित कर

स्वयं का रोज़गार स्थापित करने में सहायता की जाती है। ऐसे व्यक्तियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी आरसेटी संस्थानों, मिशन एवं जिला तथा जनपद पंचायतों द्वारा सहायता दी जाती है।

उपरोक्त तीनों व्यवस्थाओं का लाभ अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं द्वारा अपनी रुचि अनुसार उठाना चाहिये। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ ग्रामीण युवाओं ने इसका लाभ उठाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर अपने परिवार की आजीविका को सुदृढ़ कर सम्मानपूर्वक जिन्दगी बिताना प्रारंभ कर दी है। ऐसे व्यक्तियों का स्वयं के जीवन में बदलाव तो आया ही है इसके साथ ही उनके आने वाली पीढ़ी भी मुख्य धारा से जुड़कर प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देगी।

म.प्र. के 25 जिलों के उन ग्रामों में जहाँ "जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना" एवं "ग्रामीण आजीविका मिशन" द्वारा सघन रूप से दिखाई दे रहा है। सशक्त महिला संगठनों के अलावा आजीविका सुदृढ़ीकरण के उदाहरण देखे जा सकते हैं। कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोतों का उपयोग, सूक्ष्म उद्यमिता विकास, रोज़गार के अवसर के क्षेत्रों में इन ग्रामों में अनुकरणीय कार्य हो रहे हैं तथा महिला सशक्तीकरण का जो कार्य हो रहा है वह उल्लेखनीय है। अनेक महिलाएँ एवं पुरुष जो काम की तलाश में बाहर जाते थे वे अब स्वयं अपनी आजीविका सुदृढ़ कर सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। महिलाएं अपने विकास का कार्य अपने संगठनों के माध्यम से बखूबी कर रही हैं। इन ग्रामों में ग्राम सभाओं में भी सार्थक चर्चाएं होती हैं तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं।

इन ग्रामों में महिलाओं के संगठनों द्वारा ग्राम के बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं, शौचालयों के निर्माण एवं उपयोग हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा अपनी आजीविका सुदृढ़ करने के अलावा अपने परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, समूहों से जुड़ने के बाद इन महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और ग्रामों में एकता तथा सामाजिक सौहार्द्र का वातावरण निर्मित हुआ है, अनेक महिलाओं द्वारा गिरवी में रखे अपने वस्त्र, आभूषण, जमीन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं वापस प्राप्त कर ली हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समूह निधि तथा बैंक से प्राप्त ऋण से सफलतापूर्वक की जा रही है।

ग्राम पंचायतों से अपेक्षाएँ

- महिलाओं के संगठनों के विकास में सहयोग।
- ग्राम सभाओं में ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक चर्चा।
- अधिक से अधिक निर्धन ग्रामीण महिलाओं को समूह से जुड़ने एवं पंचसूत्र पालन में सहयोग।
- महिलाओं की मांगों पर त्वरित विचार एवं कार्रवाई।
- ग्राम संगठनों की बैठकों हेतु स्थल उपलब्ध कराना।
- ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए मिशन के कार्यकर्ताओं को सहयोग करना।
- जिन युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें रोज़गार स्थल पर जाने के लिये प्रेरित करना।

समृद्धि की ओर ...

पाटी विकासखण्ड के कुल 24 ग्रामों में CBMFI की अवधारणा को मूर्त रूप देने का कार्य प्रारंभ किया गया। इस तरह के गांवों की 50 बहनों ने मिलकर समृद्धि संस्था की नीव रखी और आज 1500 से अधिक बहने एक साथ एक-दूसरे के सुख दुख में मदद करते हुए संस्था चला रही है। दूर पहाड़ों में रहने वाली इन ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित समृद्धि संस्था के सफल काम-काज को देखकर बैंक भी अब हम पर पूरा भरोसा करती है। समृद्धि संस्था से जुड़ी महिला सदस्यों का भरोसा और विश्वास भी बढ़ रहा है।

मध्यप्रदेश के हजारों गांवों में आजीविका कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई है स्व-सहायता समूहों ने। प्रदेश में गरीब ग्रामीण परिवारों के आर्थिक विकास और उन्हें आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराने में आजीविका कार्यक्रमों का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रदेश के आदिवासी बहुल अंचलों में पहले संचालित म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों ने ग्रामीण परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा दी। स्व-सहायता समूहों को अब म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़कर सशक्त बनाया जा रहा है।

म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना के प्रथम चरण में भी आजीविका कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए ग्रामसभा को इसकी धुरी बनाया गया था, जो अपने स्वयं के निर्णय लेकर कार्य करती थी। आजीविका परियोजना के प्रथम चरण की सीख एवं अनुभवों के आधार पर यह तथ्य सामने आये कि द्वितीय चरण में आजीविका परियोजना द्वारा ग्रामों को दी गई राशि पर्याप्त नहीं है। परियोजना के प्रथम चरण में विभिन्न घटकों में अधिकांशतः अनुदान दिया गया था। विभिन्न स्तरों पर बैठकों में यह बात उभर कर आई कि द्वितीय चरण की गतिविधियों में ऋण की प्रक्रिया एवं पुनर्भुगतान के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाई जाये जिससे कि ग्राम स्तर पर वित्तीय सेवाएं सरलता से उपलब्ध हो सकें।

वित्तीय सेवाओं को समय पर, उचित मूल्य पर एवं आवश्यकतानुरूप उपलब्ध कराना ही समृद्धि समुदाय पर आधारित सूक्ष्म वित्त संस्था का उद्देश्य है। वर्तमान में यह देखा गया है कि ग्रामीणों द्वारा लिये गये छोटे-छोटे (500 से 5000 रुपये तक) के कर्ज के लिए भी स्थानीय साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज वसूला जाता है। अपनी जरूरतों के लिए ग्रामीण जमीन अथवा गहनों (धरोहर) को गिरवी रखकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अपनी छोटी सी जरूरत के लिए भी वे ब्याज के रूप में

साहूकारों को एक मोटी रकम अदा करते हैं। इसकी यह वजह है कि अन्य वित्तीय सेवाओं व संस्थाओं तक उनकी आसान पहुँच नहीं बन पाई है। इन सेवाओं का उपयोग ग्रामीण यदि अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में करें तो वह ऋण के दुष्चक्र में कभी भी नहीं फंसेंगे।

इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर इसके समाधान हेतु समुदाय पर आधारित सूक्ष्म वित्त संस्था की स्थापना की सोच विकसित हुई ताकि समुदाय के सदस्य अपने वित्तीय समस्याओं को स्वतः ही सुलझा सके तदनुसार CBMFI समृद्धि स्वायत्त साख संस्था की स्थापना हुई। इसे मूर्तरूप देने हेतु सहकारिता अधिनियम 1999 (MACS) के अंतर्गत दिनांक 21.01.2011 को किया गया।

विकासखण्ड के कुल 24 ग्रामों में CBMFI की अवधारणा को मूर्त रूप देने का कार्य प्रारंभ किया गया।

इस तरह के गांवों की 50 बहनों ने मिलकर समृद्धि संस्था की नींव रखी और आज 1500 से अधिक बहनें एक साथ एक-दूसरे के सुख-दुख में मदद करते हुए संस्था चला रही हैं। दूर पहाड़ों में रहने वाली इन ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित समृद्धि संस्था के सफल काम-काज को देखकर बैंक भी अब हम पर पूरा भरोसा करती है। समृद्धि संस्था से जुड़ी महिला सदस्यों का भरोसा और विश्वास भी बढ़ रहा है

रेवाबाई
अध्यक्ष, समृद्धि संस्था, ग्राम पंचगांव

आजीविका की पहचान और संचालन

प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आजीविका पर निर्भर होता है। इसके लिए वह हर कठिन और विपरीत स्थिति में भी अपनी क्षमता और संसाधन को बनाए रखता है ताकि वह अपनी और अपने परिवार की भरण पोषण और अन्य जरूरतों को पूरा कर सके।

म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन में संवहनीय आजीविका के लिये विकास की समस्त गतिविधियां समुदाय को साथ में रखकर की जाती है। इसमें लक्षित परिवारों की क्षमताओं तथा उनके पास उपलब्ध संसाधनों के समग्र विकास को अधिक महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाली समस्त बाधाओं तथा अवसरों को चिन्हित कर उन पर कार्य किया जाता है। स्व-सहायता समूह मिलकर जो काम करना चाहेंगे और उन परिवारों में जो भी आजीविका के कार्य चल रहे होंगे उन कामों को मजबूत बनाने का काम किया जायेगा। जिन कामों के माध्यम से परिवार अभी आजीविका कमाते हैं उन कामों के विस्तार पर भी काम किया जायेगा। परिवार जिन नये कामों को शुरु करना चाहते होंगे लाभ का मूल्यांकन कर उसे करवाया जायेगा। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि परिवार ज्यादा पैसा कमा सकें।

आजीविका के आधारभूत संसाधन :

- प्राकृतिक संसाधन।
- सामाजिक संसाधन।
- मानव संसाधन।
- वित्तीय संसाधन।
- भौतिक संसाधन।
- उत्साह, हौंसला तथा हिम्मत।

आजीविका को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक :

प्राकृतिक आपदा, जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, धनराशि की कमी, बाजार का उपलब्ध नहीं होना, शिक्षा की कमी, रोजगार के लिये जरूरी कौशल की कमी, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आकस्मिक खर्च में बढ़ोत्तरी तथा काम के दिनों में कमी, परिवार के कमाऊ सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या अपंगता, सामाजिक कार्यों में आमदनी से ज्यादा खर्च, सामाजिक कुरीतियां, जागरूकता जानकारी, तकनीकी का ज्ञान नहीं होना या कम होना, अवसरों की उपलब्धता की जानकारी नहीं होना, उनका लाभ नहीं ले पाना।

समूह में आजीविका गतिविधियों का चयन और उनका संचालन

समूह में आजीविका गतिविधियों के चयन के लिये समूह के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर विचार करना है, सोचना कि

उनके परिवारों की आय क्या-क्या काम करने से बढ़ सकती है। निर्णय करने के लिये कई तरह से सोचा जा सकता है।

पहला तरीका - व्यक्तिगत काम करना

- अभी परिवारों में क्या-क्या काम होते हैं।
- इन कामों से ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाने के कारण क्या-क्या है। (कमियां क्या-क्या हैं/जरूरतें क्या-क्या हैं)।
- कमियों को दूर करने या जरूरतों को पूरा करने के लिये क्या किया जा सकता है। (तुरन्त क्या कर सकते हैं, हम स्वयं क्या कर सकते हैं, किसी की मदद से क्या कर सकते हैं)।
- परिवार में कितने लोग खाली हैं, कब ज्यादा खाली रहते हैं, क्या काम कर सकते हैं।
- जो काम अभी होता है उसके विस्तार (संख्यात्मक एवं गुणात्मक) की क्या सम्भावना है। ऐसा करके आय वर्धन की क्या संभावना है।

दूसरा तरीका- मिल कर काम करना, अब सभी समूह सदस्यों को आपस में चर्चा करके यह तय करना है कि वे अपने-अपने परिवारों में होने वाले व्यक्तिगत आजीविका कार्यों को मिलकर करने (बेचने, खरीदने) से क्या कुछ ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। यदि कुछ ऐसा काम समझ में आता है तो किया जा सकता है।

1. बेचना- सब्जी, अनाज, दूध, 2. खरीदना - खाद, बीज, कीटनाशक यन्त्र-उपकरण, अन्य आवश्यक वस्तुएं आदि। 3. कोई वस्तु बनाने या सुधारने का काम। 4. कुछ सामान किराये पर देने का काम।

तीसरा तरीका - समूह में काम करना - समूह में कोई गतिविधि बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसी गतिविधि जिसको करने के लिये सब लोग तैयार हों वही करें। गतिविधि करने से पहले पूरी कार्य योजना बनाना चाहिए जिसमें माल बिकने की सम्भावना, जानकारी, हुनर, सामान क्या-क्या लगेगा, कहां से मिलेगा, लागत, खर्च क्या होगा, मुनाफा क्या हो सकता है, कम से कम

बड़वानी - मसाला उद्योग

अच्छा दिखेगा, खूब बिकेगा

बड़वानी जिले में पूर्व में हल्दी का क्षेत्रफल बहुत ही सीमित था, विपणन हेतु हल्दी नहीं लगाई जाती थी। म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना द्वारा किसानों को हल्दी का बीज उपलब्ध कराया जाकर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कराई गयी। जिले में हल्दी का उत्पादन का कार्य 20 से 25 ग्रामों मुख्यतः हरिबड़, सजवाय एवं निवाली के कुसम्या में होता है। हल्दी का बुआई का क्षेत्रफल 25 से 30 एकड़ है, जिसमें गीली हल्दी का औसत उत्पादन 3000 से 4000 क्विंटल होता है। बड़वानी जिले में मिर्च का उत्पादन का कार्य 125 से 130 ग्रामों में किया जाता है। बुआई का क्षेत्रफल 8000 एकड़ है, जिसमें लाल मिर्च का औसत उत्पादन 70 से 80 हजार क्विंटल होता है। बड़वानी जिले में 50 से 60 प्रतिशत का उत्पादन ठीकरी, बड़वानी के रोड के ग्रामों में होता है जिसका विपणन क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी मंडी राजपुर में है। मिशन द्वारा मंडवाड़ा संकुल के ग्राम हरिबड़ में निमाड़ महिला आजीविका समूह की 10 महिलाओं द्वारा मसाला उद्योग का कार्य किया जा रहा है जिसकी तस्वीर अब दिनों दिन निखर रही है। समूह की महिलाओं द्वारा गांव में हल्दी और मिर्ची का उत्पादन स्वयं कर उसकी प्रोसेसिंग (तोड़ना, साफ करना, सुखाना, पीसना, पैकेजिंग करना) ग्राम स्तर पर कर आजीविका ब्रांड के नाम से विपणन शुरू किया है जिसका प्रारंभिक तौर पर सभी ने उक्त प्रोडक्ट को सराहा है तथा मांग निकलकर सामने आ रही है।

हल्दी की प्रोसेस सीखने के लिये समूह का सांगली, महाराष्ट्र भ्रमण कराया। जहां बॉयलर द्वारा भाप के माध्यम से हल्दी को उबालना सिखाया गया। ग्राम हरिबड़ में इकाई स्थापित होने के बाद समूह द्वारा बॉइलर के माध्यम से हल्दी को उबालकर प्रयोग किया गया, जिसमें एक किलोग्राम हल्दी उबालने तथा सुखाने के पश्चात् 200 ग्राम प्राप्त हुई। इससे पहले एक किलोग्राम हल्दी को देशी पद्धति से उबालने पर समय ज्यादा तथा अधिक श्रम लगता था तथा उत्पाद भी 100 ग्राम प्राप्त होता था जो काफी कम था। इकाई प्रारंभ होने के बाद अब बाइलर से 30 मिनट में आठ क्विंटल हल्दी को उबाला जा सकता है। इसी प्रकार, लाल मिर्च को भी समूह की महिलाओं द्वारा सुखाकर, डंठल तोड़कर उसकी पिसाई कराई गयी, रंग व चमक के लिये विशेष मशीन द्वारा उसमें दो प्रतिशत एडीबल आईल का प्रयोग कर मिर्च की गुणवत्ता में अच्छा प्रभाव देखा इससे बाजार में मांग भी बढ़ी।

और अधिकतम मुनाफा क्या हो सकता है, कितने दिन तैयार माल रख सकते हैं, कौन खरीदेगा, कहां बेचेंगे, कितनी संख्या, कितनी मात्रा से शुरू करना है, जिम्मेदारी कौन क्या निभायेगा, कुल लागत कितनी लगेगी, कहां से पैसा मिलेगा, सदस्य कितना लगायेंगे, कितना लोन लेना पड़ेगा, नियत खर्च और मुनाफे के बंटवारे के क्या होंगे, हिसाब रखना, दस्तावेज लिखना आदि सभी पक्षों पर सोचना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी।

जो भी काम करें उसमें सभी की समझ होनी चाहिए, सभी को जानकारी होना चाहिए। काम शुरू करने से पहले आवश्यकतानुसार जहां अच्छा काम हुआ है वहां देखना चाहिए या वैसा ही काम करने वालो से मिलना चाहिए उनके अनुभव पूछकर हम गलती करने से बच सकते हैं।

आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रयास : मिशन क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और लक्षित समुदाय की उन तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत है ताकि ग्रामीणों को बैंक तथा सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से बचत एवं साख सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। स्व-सहायता समूह के माध्यम से इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे हैं, परंतु परियोजना क्षेत्र में गरीब परिवार वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थानीय अनौपचारिक व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं। अतः मिशन में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को एक महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अंतर्गत बचत एवं साख सेवाओं के साथ-साथ बीमा, पेंशन के लिये भी कार्य किया जा रहा है।

पलायन करने वाले परिवारों के साथ काम : गरीब परिवार अपनी आजीविका के लिये मजबूरीवश अथवा बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन करते हैं। ऐसे परिवारों को अक्सर विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही वे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा पलायनकर्ता परिवारों के ग्राम में रह गये सदस्यों जैसे-बुजुर्ग व बच्चों को जीवनयापन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे परिवारों का कौशल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

लघु उद्यमिता विकास का काम : अनेक ग्रामीण परिवार स्थानीय संसाधनों, बाजार की उपलब्धता तथा मांग के आधार पर पारम्परिक कौशल पर निर्भर है। इनसे ग्रामीणों को अपने श्रम एवं पूंजी के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता। अतः आवश्यक है कि इन परिवारों को अपने उत्पादों का सही लाभ मिले। इसके लिये इन परिवारों की क्षमता एवं

गरीबी दूर

मध्यप्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है कि प्रदेश से गरीबी पूर्ण रूप से दूर की जाये। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आजीविका मिशन के माध्यम से सघन प्रयास किये जा रहे हैं। गरीबी दूर करने के उपायों के बीच हमें सबसे पहले गरीबी को जानना होगा।

गरीबी क्या है ?

वे परिवार जो दो वक्त का भोजन और अपनी बुनियादी जीवन की आवश्यकताएं अपनी आय, अपनी आजीविका से पूरा नहीं कर सकते वे गरीब हैं। वे परिवार जो दो वक्त के भोजन और मानवीय बुनियादी सुविधाओं के साथ जानकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवार चलाने के लिये आवश्यक आजीविका के साधन, हक-अधिकार का उपयोग नहीं कर पाने, निर्णय में हिस्सेदारी नहीं कर पाने, योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ नहीं ले पाने की स्थिति में हैं वे सब गरीब हैं।

बीपीएल की सूची वाले लोग गरीब माने जाते हैं, उन्हें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ इसी आधार पर दिया जाता है।

गरीबी दूर करने के उपायों के तहत आजीविका मिशन के द्वारा गांवों में आर्थिक श्रेणीकरण की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत चार श्रेणियों में परिवारों की पहचान की जा रही है। इनकी पहचान करने और सूची बनाकर उसका अनुमोदन करने

कौशल में वृद्धि बाजार की मांग के अनुसार किये जाने की पहल की गई है।

वनोपज आधारित गतिविधियों का काम : बहुत सारे ग्राम वनक्षेत्रों के निकट स्थित हैं अतः परंपरागत रूप से इन ग्रामों के बहुत सारे परिवार अपनी आवश्यकताओं के लिये वनों पर निर्भर हैं। इनमें से अनेक परिवार अपनी आजीविका चलाने के लिये वनोपज के संग्रहण एवं उनकी बिक्री पर निर्भर हैं। लघु वनोपज आधारित गतिविधियां भी संवहनीय आजीविका में मददगार हो सकती हैं। यदि उनकी इन गतिविधियों में तकनीकी ज्ञान और आधुनिक तौर-तरीकों को शामिल किया जाये तो लाभ ज्यादा मिल सकता है।

कृषि गतिविधियां और पशुपालन का काम : ग्रामों में लक्षित समुदाय के लिये कृषि तथा पशुपालन महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिनमें जलीय जीव जैसे- मछली, झींगा भी शामिल हैं। लक्षित समुदाय इन संसाधनों के प्रबंध से परिचित हैं, लेकिन संसाधनों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार के लिये परंपरागत तकनीक एवं प्रक्रियाओं को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने की जरूरत है।

उत्पादन खर्च को स्थानीय जैविक संसाधनों के उपयोग द्वारा कम करना भी आवश्यक है। कृषि गतिविधियों को लाभ का धंधा बनाने के लिये उन्नत बीज, नई तकनीक एवं आधुनिक तौर-तरीकों के प्रयोग के उपयोग, सिंचाई के साधनों का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कम पानी की फसलों का प्रयोग, ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों का उपयोग, मिट्टी का परीक्षण और आवश्यकतानुसार उसका सुधार, जैविक खाद और जैविक खेती के प्रयोग, फसल चक्र में सुधार आदि करने की आवश्यकता है।

करने के उपाय

का काम समुदाय और ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है

गरीबी दूर करने के प्रयास

- गरीबों की पहचान करना।
- गरीबी के कारणों की पहचान कर उनका विश्लेषण करना।
- विश्लेषण से समस्या के मूल को समझकर उसके निदान के लिये उपाय खोजना।
- निकाले गये उपायों का विश्लेषण कर उपयोगी और परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक उपायों की प्राथमिकता तय करना।
- प्राथमिकता अनुसार तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति एवं दूरगामी जरूरतों की पूर्ति के लिये काम करने के तौर-तरीके तय करना।
- गरीबों को संगठित करना।
- जानकारी देना, जागरूक करना।
- प्रेरित करना, आत्मविश्वास बढ़ाना।
- सहयोग और समन्वय से छोटे-छोटे कामों की शुरुआत करवाकर उन्हें सफल बनाना।
- सामूहिक सहयोग एवं मिलकर जरूरतों की पूर्ति करने के लिए स्व-सहायता समूहों का गठन करना उन्हें मजबूत बनाना।
- कौशल विकास करना और क्षमताओं को बढ़ाना।
- समय और आवश्यकतानुसार पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आजीविका गतिविधियों से जोड़ना।
- समस्याओं को समझकर और उन्हें मिलकर दूर करने की क्षमता बढ़ाना।
- योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करना।
- सुरक्षा देने वाली योजनाओं, सुविधाओं से जोड़ना।
- बचत करने की आदतों को बढ़ाना और उन्हें मजबूत बनाना।
- स्वसहायता समूहों के रूप में महिलाओं को संगठित करना।
- समूहों को मजबूत बनाकर उनके ग्राम स्तरीय संगठन बनाना और उन्हें मजबूत बनाना।
- ग्राम स्तरीय संगठनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूत बनाने का प्रयास करना।

● मोहन सिंह पाल

सिलाई से बुनी बेहतर जिंदगी

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत आर.सेटी के माध्यम से वस्त्र निर्माण पर प्रशिक्षण के लिये संकुल पद्मी एवं संकुल फूलसागर के ग्रामों से 42 बेरोजगार युवतियों का चयन किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इन सभी युवतियों में से 27 युवतियों द्वारा एक समिति “माँ रेवा आजीविका वस्त्र निर्माण समिति ग्राम टिकरिया” का गठन किया गया तथा उसे सहकारी समिति अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। इस पंजीकृत समिति को म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम द्वारा स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति 2007 के अंतर्गत 25 लाख की बैंक गारंटी प्रदाय की गई। समिति के कार्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने मण्डला भ्रमण के दौरान किया गया था। समिति की 25 युवतियों द्वारा अपने अपने स्व-सहायता समूह का गठन किया गया है। इन दोनों समूहों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 3-3 लाख रुपये का ऋण वस्त्र उत्पादन कार्य के लिये स्वीकृत किया गया है। ग्राम टिकरिया में गठित मां रेवा आजीविका वस्त्र उत्पादन केंद्र, टिकरिया का शुभारंभ माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सम्पतिया उइके एवं माननीय कलेक्टर महोदय श्री लोकेश जाटव द्वारा किया गया। इस समूह को वर्ष 2013-14 में 2230 शाला गणवेश तैयार करने का कार्य प्राप्त हुआ, जिसे इस समूह द्वारा पूर्ण कर रुपये 4 लाख 23 हजार 485 की बिक्री की गयी जिसमें 1 लाख 33 हजार 800 रुपये लाभ प्राप्त हुआ।

वहीं ग्राम रामबाग में 10 युवतियों द्वारा सूर्यकुण्ड आजीविका वस्त्र उत्पादक समूह का गठन किया गया। इस समूह ने भी 2019 गणवेशों के कार्य को पूर्ण कर रुपये 3 लाख 77 हजार 655 रुपये का बिक्री तथा 1 लाख 21 हजार 640 रुपये की आय अर्जित की। इन समूहों की सफलता मात्र गणवेशों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इन दोनों समूहों तथा इनकी पैतृक समिति “माँ रेवा आजीविका वस्त्र निर्माण समिति ग्राम टिकरिया” ने आई.टी.डी.पी. द्वारा चयनित आदिवासी एवं बी.पी.एल. युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। इन प्रशिक्षणों से भी इन तीनों संस्थाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अन्य युवतियों ने तीन नवीन आजीविका वस्त्र उत्पादन केंद्रों क्रमशः ग्राम सिलगी, संकुल पद्मी, ग्राम मानादेई संकुल महाराजपुर एवं ग्राम आमानाला संकुल मण्डला की स्थापना की गई, जिसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। वर्ष 2014-15 में जिला प्रशासन के सहयोग से समूहों द्वारा 20 हजार शाला गणवेशों के निर्माण का कार्य किया गया। आज इन युवतियों की मेहनत का ही परिणाम है, कि पूर्व में इन युवतियों को जहां गरीबी में जीवनयापन करना पड़ता था, वो अब न केवल अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं, बल्कि अपने समूह के समस्त लेनदेन का रखरखाव कुशल कर्मी की तरह कर रही हैं।

जगदीश पटेल
म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
जिला मण्डला, म.प्र.

पशुपालन के काम को जानकारी, जागरूकता, बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार और उत्पादों के निर्माण के माध्यम से मजबूत बनाया जा सकता है। बीमा कराकर पशुधन से होने वाली आर्थिक हानि से बचाया जा सकता है।

जल एवं भू-संरक्षण का काम : मिशन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों विशेष तौर पर भूमि एवं जल के विकास की अपार संभावनाएं हैं। आदिवासी समुदाय की भू-आधारित उत्पादन तंत्र पर निर्भरता बहुत अधिक है। उनकी ज्यादातर जमीनें ढालू क्षेत्र पर स्थित हैं तथा मिट्टी की गहराई बहुत कम है।

अतः इन क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाने में जल एवं भूमि संरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है ताकि भूमि एवं जल के उचित प्रबन्धन से ज्यादा लाभ लिया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा का काम : ग्रामों में निवासरत परिवारों में से बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास संसाधनों की उपलब्धता कम है। ये क्षेत्र अंदरूनी होने के कारण इनमें अनेक सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में किसी भी प्राकृतिक अथवा आकस्मिक विपदा के कारण उनके जीवनयापन का मूल आधार मुश्किल में पड़ जाता है।

वित्तीय सेवाओं की अनुपलब्धता इस स्थिति को और भी गम्भीर बना देती है। अतः आजीविका के साधनों को संवहनीय बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि संबंधित परिवारों की सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाये तभी मिशन द्वारा किये गये प्रयास और ज्यादा अर्थपूर्ण और संवहनीय होंगे। सभी परिवारों को पात्रतानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाना होगा। सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने पर उनकी मुश्किल कम होगी।

● **नवीन शर्मा**

विकास कार्यों की जानकारी हो रही है अपडेट

मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में वित्तीय प्रबंधन और सतत अंकेक्षण के लिए वेबपोर्टल 'पंचायत दर्पण' बनाया गया है जिसमें प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रविष्ट करती हैं। इस क्रम में इस बार रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज जनपद की ग्राम पंचायत करमोदा की जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

पंचायत राज संचालनालय

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश)

ग्राम पंचायत, करमोदा

(खेरी चौका ,करमोदा)

Back

त्रिस्तरीय-पंचायत

जिला पंचायत 50

जनपद पंचायत 313

ग्राम पंचायत 23006

जिला / जनपद

जिला : Raisen

जनपद : OBAIDALLAGANJ

पंचायत अधिकारी

सरपंच नाम : SHANKAR LAL फ़ोन नंबर : मोबाइल नंबर : 9479905095

सचिव नाम : RAMVILASH फ़ोन नंबर : मोबाइल नंबर : 9406568845

बजट आबंटन

(ग्राम पंचायत, करमोदा)

13th Finance	
वर्ष	राशि(रु.लाख में)
2011-2012	3.53238
2012-2013	2.22148
2013-2014	4.39321
State Finance	
वर्ष	राशि(रु.लाख में)
2011-2012	2.03731
2012-2013	2.77111
2013-2014	2.68864
Panch Parmeshwar	
वर्ष	राशि(रु.लाख में)
2012-2013	0.00741

पंचायत विवरण

जनगणना कोड	: 1	जनसंख्या	: 1558
ई मेल	: -	वेब साइट	: -
टेलीफोन उपलब्ध	: नहीं	टेलीफोन नंबर	: -
कम्प्यूटर कक्ष उपलब्ध	: नहीं	कंप्यूटर कक्ष का माप (वर्ग फुट में)	: -
कंप्यूटर / लैपटॉप की संख्या	: 0	पॉवर बैकअप उपलब्ध	: नहीं
पंचायत भवन उपलब्ध	: हां	पंचायत भवन का माप	: 20
पंचायत भवन की स्थिति	: ठीक	ब्रॉडबैंड / इन्टरनेट कनेक्शन उपलब्ध	: नहीं

कार्य कि स्थिति	संख्या	राशि (लाख रु.)	व्यय राशि (लाख रु.)
नये अनुमोदित	0	0.00	0.00
पूर्व वर्षों के अपूर्ण कार्य	4	16.66	3.77
कुल कार्य	4	16.66	3.77
वर्ष में पूर्ण कार्य	0	0.00	0.00
वर्ष के प्रगतिरत कार्य	0	0.00	0.00
वर्ष के विलंबित कार्य	4	16.66	3.77
शेष कार्य	0	0.00	0.00

News

No News Exist

More

Photogallery

SSSM Scheme

समग्र

NREGS Scheme

Employment Status

Work Status

Financial Status

Beneficiary Details

स्टेट मोनिटरिंग रिपोर्ट्स

फंड-आबंटन रिपोर्ट

कार्य स्थिति रिपोर्ट

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

बजट आबंटन रिपोर्ट

कार्य विवरण रिपोर्ट

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

Access National Panchayat Portal

PANCHAYAT DARPAN

PANCHAYAT Data for Accounting, Resident, Public, Administration, Nation

मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फौरम

रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में आजीविका के लिए विभिन्न रोजगार और स्व-रोजगार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आजीविका संबंधी विभिन्न योजनाओं को सम्मिलित कर समन्वित रूप से एक छत के नीचे क्रियान्वयन के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम की शुरुआत एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम है। राज्य आजीविका फोरम का पंजीयन सोसायटी एक्ट के अंतर्गत किया गया है। शासन द्वारा स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति-2007 लागू की गई है। मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आजीविका से संबंधित क्षेत्रों में बेहतर लाभ के अवसर सृजित करना तथा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाकर स्व-रोजगार सुनिश्चित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। फोरम के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आजीविका संबंधी विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.), महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एस.के.एस.पी.), एस.जी.एस.वाई. विशेष परियोजना, राज्य एस.जी.एस.वाय., समन्वित आजीविका क्रियान्वयन कार्यक्रम, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति-2007 : माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की पहल पर अधिक से अधिक रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में पहली बार रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति तैयार की गई है। शासन के विभिन्न विभागों के मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा व्यापक विचार-विमर्श कर नीति को अंतिम रूप दिया गया है। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति सम्पूर्ण प्रदेश में 1 नवम्बर 2007 से प्रभावशील है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक क्षेत्र में जोड़ने की पहल के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बाजार, उद्योग तथा पर्यटन की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं का कौशल उन्नयन कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़े जाने के लिए निम्नानुसार कार्य किया जा रहा है-

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण एवं नियोजन

- बाजार एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगार के इच्छुक युवक-युवतियों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित कर उनकी क्षमता का विकास करना।
- प्रशिक्षित युवाओं का मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कौशल प्रमाणीकरण कराना।
- प्रशिक्षण के बाद युवक, युवतियों को नियोजन के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना।
- कार्यस्थल पर रोजगार प्राप्त युवक-युवतियों को उचित वातावरण प्रदाय करने में सहयोग।

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण और स्वरोजगार

- बाजार एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में आर-सेटी/रूडसेटी स्थापित की गई है।
- आर-सेटी के माध्यम से स्वरोजगार के इच्छुक युवक-युवतियों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदाय कर उनका क्षमता वर्धन करना।
- राज्य स्तर पर बैंक के साथ समन्वय।
- बैंक की सहायता से बैंक लिंकेज कराना एवं स्वरोजगार स्थापित करना।
- प्रशिक्षित युवक-युवतियों का कौशल प्रमाणीकरण करना।

- स्वरोजगार स्थापित करने के पश्चात् सहयोग प्रदान करना।

रोजगार मेला

- प्रदेश के अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल युवाओं को प्रदेश और देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को आमंत्रित कर ब्लॉक तथा संकुल स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है।
- रोजगार मेले आयोजित कर ग्रामीण युवाओं को योग्यता के अनुरूप प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों में निःशुल्क रोजगार दिलाना।
- निश्चित रोजगार के लिए जिला तथा विकासखण्ड मुख्यालयों पर युवाओं को रोजगार के लिए साक्षात्कार और चयन का कार्य निःशुल्क रूप से करना।
- कार्यस्थल पर उचित वातावरण का निर्माण करने में युवाओं को सहयोग।

भारतीय सेना में नियोजन के अवसर

- ग्रामीण युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के संबंध में निःशुल्क जागरूकता अभियान तथा मार्गदर्शन प्रदाय करना।
- भारतीय सेना में भर्ती के लिए ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाना।
- भारतीय सेना के विभिन्न अंगों जैसे-वायु सेना, थल सेना और नौ सेना के भर्ती बोर्ड के साथ समन्वय कर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क रैली का आयोजन ।
- रैली के माध्यम से युवाओं का निःशुल्क चयन कर रैली के अगले चरण तक पहुंचाना ।

उपरोक्त रोजगार तथा स्व-रोजगार कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए निम्न से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

सम्पर्क :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत
संकुल समन्वयक
राज्य ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम
संकुल समन्वयक
जिला गरीबी उन्मूलन परियोना

● **धीरेन्द्र सिंह**

रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति-2007

- म.प्र. शासन द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को आर्थिक क्षेत्र से जोड़ने की पहल।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति-2007।
- बाजार, उद्योग, पर्यटन की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित कर तथा कौशल विकास द्वारा उनके रोजगार अवसरों में वृद्धि करना।
- रोजगार के इच्छुक कुशल, अकुशल, शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों का पंजीयन रोजगार कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से कराने की व्यवस्था।
- युवाओं को बेहतर रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ना।
- प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि कर उनके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना।
- कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण एवं नियोजन के लिए शासकीय, निजी शिक्षण संस्थाओं तथा उद्योगों से निरंतर सहयोग प्राप्त करना।
- बी.पी.एल. सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाला शत-प्रतिशत व्यय शासन द्वारा।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान

- यदि आप अपने ही गांव में रहकर स्वरोजागर चाहते हैं तो आर-सेटी के माध्यम से गांव में ही रहकर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- आर-सेटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में समय-समय पर संचालित योजनाओं के संबंध में निःशुल्क मार्गदर्शन।

रोजगार मेला

- यदि आप प्रदेश एवं देश की किसी प्रतिष्ठित संस्थान में रोजगार चाहते हैं तो ग्रामीण युवाओं को शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार दिलाना।
- प्रदेश एवं देश की प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों को आमंत्रित कर ब्लॉक एवं संकुल स्तर पर रोजगार मेले आयोजित करना।
- ग्रामीण युवाओं को योग्यता के अनुरूप रोजगार मेले आयोजित कर प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों में निःशुल्क रोजगार दिलाना।

कौशन उन्नयन प्रशिक्षण के माध्यम से सुनिश्चित रोजगार

यदि आप में दृढ़ इच्छाशक्ति, हुनर, समय के अनुसार चलने की गति एवं रोजगार पाने की ललक है तो -

- रोजगार के इच्छुक युवक/युवतियों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित कर क्षमता का निःशुल्क विकास।
- बाजार एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित कर निःशुल्क नियोजन।
- प्रशिक्षण के पश्चात युवक-युवतियों को निःशुल्क अवसर उपलब्ध कराना।
- प्रदेश के प्रत्येक युवाओं को निःशुल्क रोजगार उपलब्ध कराना।

स्व-सहायता समूह संवर्धन

- समूह के विकास के लिए सुविधाजनक वातावरण का निर्माण करना।
- एक जैसी गतिविधि क्रियान्वित करने वाले परिवारों को एक छत के नीचे लाना।
- साधनहीन लोगों के समूहों को सशक्त बनाना।

सेना रैली

- भारतीय सेना में भर्ती के लिए ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाना।

राज्य आजीविका फोरम ग्रामीणों की आर्थिक समृद्धि की पहल

- 3 लाख 59 हजार 338 परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा।
- 163.85 करोड़ रुपये का बैंक लिंकेज करवाया 493 करोड़ 19 लाख रुपये के प्रकरण बैंकों को भेजे।
- 1 लाख 56 हजार 942 ग्रामीण युवाओं को कौशल उन्नयन और रोजगार के बेहतर अवसर।

मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आर्थिक विकास के लिये संचालित विभिन्न गतिविधियों से सकारात्मक बदलाव आ रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मार्च, 2014 तक 3 लाख 59 हजार 338 ग्रामीण परिवार को स्व-सहायता समूहों से जोड़ कर उनके आर्थिक संवर्द्धन के प्रयास किये गये हैं। समूहों को बैंकों के जरिये आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के मक़सद से अब तक 163.85 करोड़ का बैंक लिंकेज करवाया जा चुका है तथा 493 करोड़ 19 लाख रुपये के प्रकरण बैंकों को भेजे जा चुके हैं। इसी तरह 1 लाख 56 हजार 942 ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया करवाने के प्रयासों में सफलता मिली है। मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री संजीव कुमार झा ने की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल ने बताया कि स्व-सहायता समूह संवर्द्धन नीति-2007 के सफल क्रियान्वयन से अब तक 21 उत्पादक कम्पनियों और 25 सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। इनमें 46 हजार से अधिक शेयर होल्डर हैं तथा वार्षिक टर्न-ओव्हर 50 करोड़ रुपये से अधिक पहुँच चुका है। इन कम्पनियों द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान के साथ-साथ सुनिश्चित बाजार तथा उन्नत बीज उत्पादन सहित सभी महत्वपूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं के कौशल उन्नयन की वार्षिक कार्य-योजना में 100 रोजगार मेले कर 42 हजार 800 युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना की विशेष परियोजना में प्रदेश के 8 जिलों में 1406 मुर्गी उत्पादकों का चयन किया गया है। इनमें से 1366 हितग्राहियों को 4 करोड़ 10 लाख की राशि मुहैया करवाई गई है और 1077 मुर्गी-पालन शेड तैयार किये गये हैं।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के जरिये कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदा स्थिति में सुधार लाने के प्रयासों के बारे में भी बैठक में बताया गया। परियोजना में वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा 45.04 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। डीएफआईडी के आर्थिक सहयोग से प्रदेश में शुरू हुई साँझी सेहत परियोजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। परियोजना में 5 करोड़ की राशि का उपयोग प्रदेश के 5 जिले में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों में स्वास्थ्य जागरूकता लाने तथा ग्रामीण महिलाओं और बच्चों में पोषण सुधार के लिये होगा।

समिति की बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों के लिये इस वित्त वर्ष में प्रस्तावित वित्तीय प्रावधान की जानकारी भी दी गई। भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से शुरू की जा रही नई परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा हुई।

बैठक में सचिव, वित्त श्री प्रमोद गुप्ता, सचिव, आदिम-जाति कल्याण श्रीमती वीणा घाणेकर, सचिव, स्वास्थ्य श्रीमती सूरज डामोर तथा आयुक्त मनरेगा डॉ. रवीन्द्र पस्तोर सहित सदस्यगण मौजूद थे।

• चित्रा जोशी

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

वित्तीय प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश की सराहना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सराहना की है। देश के विभिन्न राज्य में लेखा प्रणाली में एकरूपता लाने तथा लेखा विवरण तैयार करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एनआरएलएम के तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 10 जून को भोपाल में शुरू हुई। इसमें तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तरप्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान सहित 15 राज्यों के वित्तीय प्रबंधन अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश द्वारा टेली सॉफ्टवेअर के सफल उपयोग की वजह से कार्यशाला के आयोजन का महत्वपूर्ण दायित्व मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपा गया है।

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई, नई दिल्ली की मुख्य परिचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेटिंग आफिसर) श्रीमती शांति कुमारी ने विभिन्न राज्यों की लेखा व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल ने प्रदेश की विशेष उपलब्धियों और महत्वपूर्ण नवाचार की जानकारी दी। कार्यशाला में विश्व बैंक कन्सलटेंट सुश्री तान्या गुप्ता भी उपस्थित थीं। श्रीमती शांति कुमारी ने कहा कि आय-व्यय और वित्तीय स्थिति की सही जानकारी बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए जरूरी है। सभी राज्यों की मिशन प्रबंधन इकाइयों को टेली सॉफ्टवेअर ERP-9 के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने और विभिन्न समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश इस सॉफ्टवेअर के उपयोग में अग्रणी राज्य है। रिसोर्स स्टेट के रूप में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों को इस बारे में प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायक परियोजना प्रबंधक (वित्तीय प्रबंधन) श्रीमती संजू रावत ने सॉफ्टवेअर की मदद से विभिन्न लेखा विवरण तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर वीडियो प्रेजेन्टेशन दिया। उन्होंने बताया कि राज्य मिशन प्रबंधन इकाई के साथ ही 9 जिला मिशन प्रबंधन इकाई और 164 प्राथमिक सहयोग दलों को सॉफ्टवेअर की मदद से लेखा संधारण का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे प्रदेश में ग्राम से राज्य स्तर तक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय वित्त प्रबंधन व्यवस्था (सेन्ट्रल फंड मैनेजमेन्ट सिस्टम-सीएफएमएस) के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है।

प्रदेश के धार, रायसेन और भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीएफएमएस का सफल क्रियान्वयन किया जा चुका है। कार्यशाला में राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई ने सभी राज्य की विगत दो माह अप्रैल तथा मई 2014 के वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा भी की। कार्यशाला का संचालन उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.बी. शर्मा ने किया।

● देवेन्द्र जोशी

ग्रामीण महिलाएँ बदल रही हैं अपने परिवारों की तकदीर

जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गठित महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। समूहों के गठन के बाद ग्रामीण महिलाओं ने अपने परिवारों की आर्थिक दशा को बदला है। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में भी इन समूहों की भूमिका रही है। प्रदेश में अब तक 70 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों से लाखों गरीब ग्रामीण परिवार को जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिशें जारी हैं।

राजगढ़ जिले के ब्यावरा बाय-पास के पास ग्राम मोई की महिलाओं ने 8 समूहों के जरिये छोटी-छोटी बचत से 81 हजार रुपये जमा कर लिये हैं। इस छोटे से गाँव में 328 परिवार रहते हैं। इन समूहों को डी.पी.आई.पी. द्वारा 11.92 लाख रुपये का कर्ज मुहैया कराया गया। अब तक 18 लाख 71 हजार से अधिक राशि का कर्ज इन समूहों को मिला। महिलाओं ने समूहों से ऋण लेकर भैंस-बकरी पालन और अन्य गतिविधियाँ शुरू कर अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है। ये सभी कर्ज को समय पर चुका रही हैं और कर्ज की दूसरी किश्त लेकर गतिविधियों का विस्तार भी कर रही हैं।

स्व-सहायता समूहों की महिलाएँ ग्राम सभा में भी भागीदारी करती हैं। इनके प्रयासों से ही गाँव में नल-जल योजना साकार हुई है। महिलाओं ने खुले में शौच की बुराई को मिटाने के लिये अपने घरों में शौचालय बनवाये हैं। इन महिलाओं के चेहरों पर आत्म-विश्वास साफ दिखता है। यह बदलाव आस-पास के कई ग्रामों की महिलाओं के लिये भी प्रेरणादायक सिद्ध हुआ है।

आजीविका मिशन के सफल क्रियान्वयन में ग्राम सभाओं की भूमिका

गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिलाने, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समरसता, आर्थिक हितों तथा अधिकारों के उपयोग करने में ग्रामसभाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं की अहम भूमिका है। इस तरह आजीविका मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में ग्राम सभा एक सहयोगी माध्यम है। मध्यप्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है जिसने सबसे पहले भारतीय संविधान के 73वें संशोधन को लागू किया। 73वें संविधान संशोधन से भी आगे जाकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिये म.प्र. ने 26 जनवरी 2001 से म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्वराज संशोधन अधिनियम लागू किया इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा बनाई गई। इस संशोधन से एक गांव के लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने, अपनी समस्याओं का निपटारा करने और अपने गांव की विकास की बात करने के लिये अपने ही गांव की ग्राम सभा में बैठकर योजना बनाने और निर्णय करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार ग्राम सभाओं में आम आदमी की सीधी और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सकी। ग्राम सभाओं ने सत्ता में भागीदारी से अपना आधारभूत महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था के लागू होने पर जनता का विश्वास बढ़ा है तथा ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं को भी पूरा मौका मिला है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिये किये गये 50 प्रतिशत पदों के आरक्षण ने महिलाओं को बड़ी संख्या में अवसर प्रदान किया है। अब वे विभिन्न पदों पर निर्वाचित होकर समाज को अपना नेतृत्व दे रही हैं।

मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ग्राम सभा का सहयोग : मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में ग्राम सभा एक सशक्त एवं सहयोगी माध्यम है। आजीविका मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उपेक्षित वर्गों, महिला प्रमुख परिवारों तथा महिलाओं, निशक्तजनों, भूमिहीन, पलायन करने वाले परिवारों, श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत इन सभी परिवारों की महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें संगठित किया जाता है। ग्राम स्तर पर इन समूहों को मजबूत बनाकर समूहों के संगठनों के रूप में इन्हें संगठित किया जाना है। इसमें ग्राम स्तरीय, संकुल स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय तथा जिला स्तरीय संगठनात्मक ढांचा बनाया जा रहा है।

मिशन का लक्ष्य है आम गरीब आदमी को हक और आर्थिक सशक्तीकरण। ग्राम सभा भी आम गरीब आदमी को उसके हक और अधिकार का मंच प्रदान करने वाली संवैधानिक व्यवस्था है। ग्राम सभाओं की जिम्मेदारी है कि अपनी समितियों के सहयोग से, ग्राम सभा सदस्यों के साथ मिलकर अपने गांव की जरूरतों को पूरा करने, समस्याओं के समाधान करने, व्यवस्थाओं के बेहतर संचालन, संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करने, परिवारों की आवश्यकतानुसार रोजगार के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों के सहयोग से पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता कराना, स्वच्छता, पानी स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर ग्राम की आवश्यकतानुसार योजना बनाना और उसका प्रभावी क्रियान्वयन कर अधिकतम लाभ मिलना सुनिश्चित करना।

ग्राम सभाओं के द्वारा आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए रोजगारमूलक योजना निर्माण के माध्यम से गांव के गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सकता है।

समिति सदस्यों के रूप में महिलाओं तथा वंचित तबकों की मौजूदगी ग्राम सभाओं में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्थाई समितियों के माध्यम से किया जाता है।

आवश्यकतानुसार कार्यों के लिये तदर्थ समितियों को बनाने का भी प्रावधान है। अतः इन समितियों के सदस्य के रूप में योजना बनाने, क्रियान्वयन करने, निगरानी करने का अधिकार और जिम्मेदारी गांव की महिलाओं और वंचित तबकों को मिल सकती है। इस अवसर से उन्हें वंचित तबकों के हितों के संरक्षण, महिलाओं के

हितों के संरक्षण के साथ ही अपने नजरिये एवं विचारों को सबके सामने रखने एवं उसके अनुरूप कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर इस तबके को सक्रिय हिस्सेदारी करने का मौका प्रदान करता है जो आर्थिक हितों को सुरक्षित करने में मददगार हो सकता है।

महिलाओं को कानूनी हक अधिकार और संरक्षण : महिलाओं को ग्रामसभाओं में बैठने, महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाने और उन पर संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता के आधार पर निर्णय कराने के लिये अपनी बात रखने का अधिकार मिला है।

योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के पात्र हितग्राहियों का चयन : ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिये पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ पात्रतानुसार गांव के लोगों को दिलाया जाए।

विभागीय समन्वय से संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं लाभ : आजीविका के लिये यह आवश्यक है कि गरीब परिवारों के खर्च को कम करके आय को बढ़ाने के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराये जायें। ताकि उसके पास मौजूद संसाधनों से, प्राप्त होने वाले नये संसाधनों तथा आर्थिक सहयोग से अतिरिक्त आमदनी शुरू हो सके। यदि ग्राम सभाओं के माध्यम से सभी गरीब परिवारों की पात्रतानुसार आर्थिक समृद्धि की कार्ययोजना बनाई जाए और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय और सहयोग से उन्हें लाभ दिलाया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे परिवार गरीबी के कुचक्र से बाहर आकर संवहनीय आजीविका के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण से सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण : ग्राम सभाओं में होने वाली सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया से भी सामाजिक सशक्तीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं को मजबूत बनाया जा

सकता है। मिशन का मानना है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत गठित ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों को गति प्रदान की जा सकती है। इन भावनाओं की पूर्ति के लिये मिशन में ग्रामसभा की विशेष भूमिका है तथा ग्रामस्तर पर जो भी विकास के कार्यक्रम संपादित किये जाने हैं उनमें ग्रामसभा के निर्णय को विशेष महत्व दिया गया है। चूंकि ग्राम की वार्षिक कार्य योजना की तैयारी, योजना का क्रियान्वयन, विभिन्न अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन हितग्राहियों के चयन तथा पहचान के लिये ग्रामसभा को अधिकृत किया गया है। यह कोशिश भी की गई है कि ग्रामसभा विकास की एक ऐसी इकाई के रूप में कार्य करे जो कि अपने द्वारा संचालित कार्यक्रमों का स्वयं मूल्यांकन करके जो सीख मिले उसके आधार पर अपनी कार्य पद्धति में आवश्यक बदलाव करे। इन मान्यताओं के मद्देनजर पीएफटी को ऐसा प्रयास करना चाहिये कि ग्रामसभा समय-समय पर किये जा रहे कार्यों का विश्लेषण करे तथा कार्य की गुणवत्ता तथा संवहनीयता पर विस्तृत चर्चा करे ताकि ऐसे बिन्दु जो कि कार्य को प्रभावित करते हुये लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बन रहे हैं उनके समाधान के लिये विशेष रणनीति बनाई जा सके। सहभागी मूल्यांकन तथा अनुश्रवण पद्धति का उपयोग करते हुए महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को, गरीबों को इस कार्य में जितनी ज्यादा भूमिका प्रदान की जावेगी उतनी ही इस बात की संभावना बनती है कि विकास के जो भी कार्यक्रम सामुदायिक स्तर पर चलाये जा रहे हैं, उनमें ग्रामसभा अपनी सकारात्मक भूमिका निभायेगी तथा विकास के कार्यक्रमों को लागू करने में एक जवाबदेह इकाई के रूप में कार्य करेगी। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से विकास के कार्यक्रमों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।

सामाजिक अंकेक्षण में चर्चा के बिन्दु

- गांव में सभी योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं।
- विभागीय कर्मचारियों का आवश्यकता-नुसार सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध हुआ या नहीं।
- समन्वय के साथ एवं योजनाबद्ध ढंग से

काम किया जा रहा है या नहीं।

- किये गये काम और दी गई सहायता का लाभ उचित रूप से हो रहा है या नहीं।
- गांव में बनाई गई योजना का क्रियान्वयन ठीक हो रहा है या नहीं।
- काम समय पर पूरा हुआ या नहीं।
- खर्च पारदर्शिता के साथ एवं संवेदनशीलता के साथ हो रहा है या नहीं।
- किये जाने वाले कार्यों का लाभ सभी को समान रूप से मिल पा रहा है या नहीं।
- निर्मित संसाधनों का उपयोग सभी लोग कर पा रहे हैं या नहीं।
- किसी के साथ भेदभाव या असमानता तो नहीं हो रही है।
- कोई वास्तविक पात्र परिवार किसी योजना के लाभ से वंचित तो नहीं है।
- वंचित, गरीब, निशक्त, महिलाओं को उनके हक और अधिकार मिल पा रहे है या नहीं, पात्रतानुसार योजनाओं का निर्धारित लाभ समय पर पूरा मिल पा रहा है या नहीं।
- स्कूल, आंगनवाड़ी, राशन की दुकान, उपस्वास्थ्य केन्द्र ठीक चल रहे हैं या नहीं सभी को लाभ मिल रहा है या नहीं।

उपरोक्त बिन्दुओं पर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में चर्चा होने से पूरी संभावनाएं हैं कि गरीब तबकों को न सिर्फ मुश्किलों से राहत मिलेगी बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि ग्राम सभाओं की सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया गरीब परिवारों के हक और अधिकारों का संरक्षण करते हुये उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिलाने एवं उनकी संवहनीय आजीविका के कार्यों में सहयोग करने में भी मददगार होगी।

अन्नकोष, वस्तुकोष, राहतकोष के निर्माण से गरीब तबके को सहारा- ग्राम सभा में चार प्रकार के कोष बनाने की बात की गई है- अन्नकोष, नगदकोष, वस्तुकोष और श्रमकोष।

ग्राम सभाओं में आम जरूरतमंद आदमी की मदद करने के लिये अन्नकोष, राहतकोष, वस्तुकोष बनाये गये हैं। नये गांवों में भी यदि यह कोष बनाये जाते हैं और उन्हें अच्छी तरह चलाकर गरीब परिवारों की मदद की जाती है तो उन्हें छोटी-छोटी जरूरतों के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब छोटी-छोटी जरूरतें गांव में समुदाय की अपनी बनाई हुई व्यवस्थाओं से पूरी होने लगेंगी तो उन्हें साहूकारों से इन कामों के लिये कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। कर्ज नहीं लेने से वे ब्याज के प्रकोप से बचे रहेंगे। छोटी जरूरतें उनकी अपनी बनाई व्यवस्थाओं से पूरी होने पर वे समूहों से नये कामों के लिये उधार पैसा लेंगे तो उन्हें ज्यादा कामों में मदद मिल सकेगी। उनकी ज्यादा जरूरतें पूरी होंगी और उनके आजीविका कार्यों को सहारा मिलेगा।

आर्थिक श्रेणीकरण की जनकेन्द्रित सहभागी प्रक्रिया और ग्राम सभा की स्वीकृति - आर्थिक श्रेणीकरण की प्रक्रिया समुदाय के प्रत्येक गरीब परिवार को लाभान्वित करने की सुनिश्चितता के लिये की जाती है ताकि समुदाय स्वयं यह निर्णय करे कि किस परिवार को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिये और फिर प्राथमिकता क्रम से कैसे लाभान्वित किया जाना है। चूंकि मिशन का लक्ष्य प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को समूहों में शामिल कर समूहों के सशक्तीकरण का है अतः यह प्रक्रिया ग्राम सभाओं के माध्यम से उसकी निगरानी एवं देखरेख में संचालित होती है।

ग्राम सभाओं की बैठकों में सर्वसम्मति से श्रेणीकरण किये जाने तथा अनुमोदन किये जाने से उसकी स्वीकार्यता, पारदर्शिता और प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध हो जायेगी। ग्राम सभाओं में विचार करने के बाद यह अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम सभाएं आजीविका मिशन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने में एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ग्राम सभाएं, निर्णय, चयन, क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं प्रक्रियाओं के बेहतर ढंग से संचालन में भी मददगार हो सकती हैं। ग्राम सभाएं अर्थात् उनके निर्वाचित प्रतिनिधि, समिति सदस्य ग्राम सभा सदस्य इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होकर ग्राम सभाओं को सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिये तैयार हो जायेंगे।

ग्राम सभाएं एवं पंचायत राज संस्थाएं निम्न सहयोग कर सकती हैं

- अत्यंत निर्धन परिवारों को प्राथमिकता के साथ बीपीएल सूची में शामिल

करवाना और स्व-सहायता समूहों में संगठित करना।

- विभिन्न स्तरों पर एसएचजी परिसंघों को सुविधागत बनाना और उनके प्रभावी संचालन के लिए स्थान तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना अथवा उपलब्ध कराने में मदद करना।
- पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक योजनाओं में स्व-सहायता समूहों और उनके परिसंघों की प्राथमिक मांगों को शामिल करना। उनके लिये उपयुक्त वित्तीय आवंटन कराना तथा उसके लिये मांग करना।
- एसएचजी नेटवर्क के साथ विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों का समन्वय कराना, समन्वय हेतु बैठकों के आयोजन में मदद करना।
- योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सहयोग।
- समस्त गरीब परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह से जोड़े जाने में मदद करना।
- महिलाओं, अत्यंत गरीब एवं वंचित वर्ग को योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करवाना एवं समस्त प्रक्रियाओं में उनकी सार्थक भूमिका सुनिश्चित करवाना।
- प्रत्येक स्तर पर क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग में वंचित वर्ग एवं गरीबों की भागीदारी एवं भूमिका सुनिश्चित करवाना।
- समूह सदस्यों की ग्रामसभा में उपस्थिति सुनिश्चित कर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें पात्रतानुसार दिलवाना।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य योजनाओं की आयोजना में स्व-सहायता समूहों के कार्यों को सम्मिलित करवाना।
- गांवों में ऐसी सुविधाओं एवं अधो-संरचनाओं का विकास करना जो कि समूह की आजीविका के विकास में सहायक हो।

● अर्चना

सशक्तीकरण की प्रतीक महिलाएँ

सुदूर सीधी जिले में संचालित महिला मुर्गीपालक स्वायत्त सहकारी समिति की अध्यक्ष उर्मिला बाई रावत हो या छतरपुर जिले के बिलहरी की ग्राम उत्थान समिति की अध्यक्ष कमला बाई 'बुआजी', रीवा जिले के डिहिया नरसिंहपुर की ग्राम उत्थान समिति की अध्यक्ष मंजुलिया बंसल या पन्ना जिले के दहलान चौकी की ग्राम उत्थान समिति की अध्यक्ष जशोदा बाई या फिर रायसेन जिले के साँकल गाँव की ग्राम उत्थान समिति की अध्यक्ष अर्चना देवी या दमोह जिले के बैलवाड़ा की ग्राम उत्थान समिति की अध्यक्ष उमेदी बाई, इन सभी महिलाओं ने परियोजना से जुड़कर इतना आत्मविश्वास हासिल किया है कि आज वे बगैर किसी झिझक के इन संस्थाओं का संचालन बखूबी कर रही हैं। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना कार्यक्षेत्र के जिलों के गाँवों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ गाँव की गरीब महिलाओं ने स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित होकर न केवल अपनी नेतृत्व क्षमता का विकास किया बल्कि वे महिला सशक्तीकरण का प्रतीक बनकर सामने आई हैं। सीधी जिले के बड़ोखर गाँव की उर्मिला बाई रावत को अपनी अध्यक्षता वाली महिला मुर्गीपालक सहकारी समिति की मुख्य जानकारी मौखिक रूप से याद है। वे बताती हैं कि इस समिति में अब 562 महिला सदस्य हैं। डी.पी.आई.पी. की पहल पर समिति ने बड़ोखर समेत अन्य गाँवों में मुर्गीपालन शेड में सौर ऊर्जा चलित लालटेन स्थापित कर प्रकाश की व्यवस्था कर ली है।

उर्मिला बाई, बड़ोखर स्थित अपने घर के एक हिस्से में स्थापित सौर ऊर्जा चार्जिंग स्टेशन को दिखाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ बताती हैं कि मुर्गीपालन व्यवसाय से जुड़ी महिला सदस्यों को मुनाफा मिल रहा है। महिलाओं ने पैसे जुटाकर गाँवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन की व्यवस्था भी की है। इसमें तकनीकी सहयोग 'टेरी' संस्था का रहा है। बड़ोखर गाँव के 36 मुर्गीपालन शेड में सौर ऊर्जा से प्रकाश की व्यवस्था की गई है। उधर रीवा जिले के गेरूआर एवं पहाड़ी गाँव में स्व-सहायता समूहों में शामिल लगभग 61 महिलाओं ने मुर्गीपालन व्यवसाय से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने की दिशा में कोशिशें शुरू की हैं। इन दोनों गाँवों में लगभग 61 मुर्गीपालन शेड बने हैं। मुर्गीपालन व्यवसाय में लगी महिलाओं को तकरीबन ढाई से तीन हजार रुपये की आमदनी प्राप्त हो रही है। गेरूआर गाँव की गीता साकेत, इन्द्रवती, मोहनी साकेत, दुइनी, मनबसुआ साकेत, विधवा महिला उर्मिला, विद्या साकेत, रानी एवं राजकुमारी साकेत ने चर्चा में अपने-अपने शेड में चक्रवार प्राप्त उत्पादन एवं आमदनी की जानकारी दी। इन महिलाओं का कहना है कि वे अपने बच्चों की तरह चूजों की देखरेख और देखभाल बड़े जतन से करती हैं। उन्हें अब इस व्यवसाय से घर बैठे पैसे मिल जाते हैं और वे मजदूरी करने नहीं जातीं।

● राजेश कुमार शर्मा

सहजकर्ता : प्रगति का सहज साथ

आजीविका मिशन का कार्य गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित और प्रेरित करके, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जाना है। इसीलिये ऐसे परिवारों के साथ काम करते समय संवेदनशीलता की विशेष आवश्यकता है। ऐसे में मिशन कर्मचारियों द्वारा इन परिवारों और इन परिवार की महिलाओं के साथ काम करते समय अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मिशन में सहजकर्ता की भूमिका सुनिश्चित की गई। सहजकर्ता अर्थात् किसी कार्य को सहज एवं सरल रूप से संपादित करने वालों के लिये आवश्यक सहयोग देने वाला। साथ ही कार्य पूरा करने में सहायक। माहौल उपलब्ध कराने वाला। कार्य पूरा करने के दौरान आने वाली जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिये भौतिक, वित्तीय, मानव, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा जानकारी को सरलता से उपलब्ध कराने वाला।

समूह से लेकर संचालन तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिये निर्णय लेने में सहजकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे- प्रेरणा देना, सूचना देना, उत्साह बढ़ाना, प्रशिक्षण देना, संगठित करना आदि सब काम करने वाला व्यक्ति सहजकर्ता ही होता है। अतः सहजकर्ता सदस्यों को अपनी बात रखने के लिये उत्साहित करता है। एक ऐसी परिस्थिति के निर्माण में समुदाय को मदद करता है जहां लोग पूरी तरह से सोच समझकर निर्णय ले सकें। सहजकर्ता कभी भी दूसरे व्यक्ति, समूह अथवा संगठन के बदले में स्वयं निर्णय नहीं लेता है। उसकी

मुख्य भूमिका सूचना प्रदान करना, उत्साह बढ़ाना, परामर्श देना, कठिनाई को दूर करने वाले और संगठित करने वाले की होती है।

सहजकर्ता की भूमिका : सहजकर्ता जिन समूहों के साथ कार्य कर रहा है उनके साथ उन्हें निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है -

- समूह के सदस्यों की स्वयं के प्रति सोच एवं उनकी क्षमता में बदलाव लाना।
- उनके स्वयं के विकास के लिये प्रशिक्षण के माध्यम से गुणात्मक परिवर्तन लाना।
- एक दूसरे के प्रति सहयोग एवं उत्साह बढ़ाने की भावना जागृत करना।
- स्वयं के प्रति सम्मान एवं आत्मशक्ति को विकसित करना।
- उनके आत्मविश्वास को मजबूत करना।

सहजकर्ता क्या करें : सहजकर्ता का यह प्रयास होना चाहिये कि उचित प्रश्नों के माध्यम से समुदाय या उसके सदस्यों को उनकी समस्याओं के हल खोजने व विकल्पों पर विचार कर स्व-निर्णय के लिये प्रेरित करें।

- अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें।
- कम बोलें, लोगों को बोलने का मौका दें।
- लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें।
- अपने बोलने के तरीके का ध्यान रखें।
- लोग समझ रहे हैं या नहीं इस बात का ध्यान रखें।
- लोगों से सीधा संवाद करें।
- बोलने वाले की भावनाओं की कद्र करें।
- लोगों के साथ चर्चा के दौरान किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें।
- बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनें।
- अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ गांव में जाने पर अच्छी टीम भावना का उदाहरण प्रस्तुत करें।
- समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाकर उनके मध्य आपसी संवाद को स्थापित करें।
- समुदाय द्वारा समस्या रखने पर उन्हें उचित प्रश्नों के माध्यम से उनके स्वयं के समाधानों तक पहुंचने में मदद करें। यदि किसी प्रश्न का जवाब अपने पास नहीं है तो उन्हें बताएं कि बाद में ठीक से पता करके जानकारी देंगे।
- अपनी बात या अपने विचार लोगों पर न थोपें।
- लोगों को चर्चा के दौरान अपनी बात कहने से न रोकें।
- पूर्वाग्रह के साथ चर्चा न करें।
- स्थानीय रीति-रिवाजों, सामाजिक परिवेश का आदर करें।
- अपने आचरण और व्यवहार को आदर्श बनाये रखें।

सहजकर्ता यह ध्यान रखें कि हमारी जिम्मेदारी सहजकर्ता की है, प्रेरित, प्रोत्साहित करने वाले की है। उनके मुद्दों को, उनकी परिस्थितियों को समझकर, उनके सामने जीवन में बदलाव के लिये क्या किया जा सकता है यह विकल्प रखने की है। उपलब्ध विकल्पों में से किस विकल्प का या कितने विकल्पों का या पहले किस विकल्प का चुनाव करना है यह निर्णय वे महिलाएं और उनके परिवार ही करेंगे। परंतु उनकी सामाजिक कमजोर परिस्थितियों के लिये कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं। क्या उपाय करने से बदलाव आ सकता है, बदलाव की शुरुआत कहां से कैसे की जा सकती है, किस तरह से मदद सहयोग की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी इनसे उबरने के लिये। आजीविका मिशन उन्हें कैसे, क्या, कितनी, कब तक, मदद करेगा, यह सब बताना और उनकी इच्छाओं के अनुसार उन्हें बदलाव के लिये तैयार करा देना ही सहजकर्ता का कार्य है।

किसी भी समूह में समय-समय पर विभिन्न प्रक्रियायें चलती रहती हैं व उसकी विभिन्न आवश्यकतायें, उपलब्धियां, कमजोरियां, जानकारी इत्यादि होती है। इसके साथ-साथ समूह में नेतृत्व, निर्णय, मतभेद इत्यादि को लेकर भी प्रक्रियायें चलती रहती हैं। कई बार यह पक्ष दिखते होते हैं, लेकिन कई बार यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते, परन्तु समूह के भीतर छिपे रहते हैं।

सहजीकरण की प्रक्रिया में इन सभी प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष करके समूह को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। सहजीकरण अन्दरूनी स्तर पर भी हो सकता है अर्थात् समूह के अन्दर का भी हकोई व्यक्ति कर सकता है अथवा समूह के बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है।

सामाजिक जनजागृति एवं ग्राम प्रवेश गतिविधियां

आजीविका मिशन का कार्य गरीब, असहाय, संसाधनों से वंचित परिवारों और विशेषकर महिलाओं के साथ किया जा रहा है। गरीब परिवारों के लोग आजीविका मिशन को जितने ठीक ढंग से समझेंगे उतना ही अच्छे ढंग से उनका जुड़ाव इस कार्यक्रम के साथ होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि इन परिवारों को आजीविका मिशन की सोच, काम करने के तौर-तरीके, लाभ मिलने की प्रक्रिया, की जाने वाली गतिविधियां और इन सबसे उनका जुड़ाव कब, कहां और कैसे हो सकता है, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाये।

संवाद की प्रक्रिया जितनी साफ-सुथरी और परिपक्व होगी, समुदाय की हिस्सेदारी की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जायेगी। इसीलिये जरूरी है कि गरीब परिवारों के साथ खासकर महिलाओं के साथ संवाद की प्रक्रिया मजबूती के साथ चलाई जाये।

समुदाय को जानकारी देते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाई जाये। यह भी कोशिश हो कि एक जैसी जानकारी सबको मिले और सब लोग उसको एक ही ढंग से समझे।

सामाजिक जनजागृति और जागरूकता का उद्देश्य गरीब परिवारों को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और जीवन में बदलाव की एक नई कोशिश शुरू करने के लिये है। वे यह महसूस कर सकें कि स्व-सहायता समूहों के निर्माण से उनके सशक्तीकरण से और इसके पश्चात् समूहों के बड़े संगठन बनाकर सामाजिक, आर्थिक बदलाव संभव है। मिशन द्वारा जनजागृति और जागरूकता के कार्यक्रम जिला स्तर, जनपद स्तर तथा ग्राम स्तर पर आयोजित किये जाते हैं।

जनजागृति तथा जागरूकता के लिये किये जाने वाले कार्य

कार्यशाला - जिलास्तर :

- जिलास्तर पर कार्यरत सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ।
- जिला पंचायत की सामान्य सभा के साथ।
- जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी के साथ।
- जिले के बैंकर्स, एलडीएम, आर.सेटी डायरेक्टर, नाबार्ड के अधिकारी, जिलास्तर पर समूहों के लिये काम करने वाले संगठनों के साथ।
- जिलास्तर पर यदि संभव है तो महिला जन प्रतिनिधियों की एक अलग कार्यशाला कर सकते हैं। ताकि वे इस अभियान में अपनी विशेष सहयोग की भूमिकाओं को पहचान कर सहयोग कर सकें।

जनपद स्तर पर :

- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत विभागों के अधिकारियों के साथ।
- जनपद पंचायत की सामान्य सभा के साथ।
- ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ।
- ब्लॉक के बैंकर्स, समूहों के लिये कार्य करने वाले संगठनों, संस्थाओं के पदाधिकारी, नाबार्ड के पदाधिकारी के साथ।
- ब्लॉक स्तर पर यदि संभव हो तो ब्लॉक स्तरीय महिला प्रतिनिधियों की एक अलग कार्यशाला कर सकते हैं ताकि वे अपना विशेष सहयोग प्रदान कर सकें।

बैठकें ग्रामस्तरीय

- गांव में समुदाय के साथ एक परिचय बैठक करना।
- पहचाने गये गरीब टोलों, फलियों के लोगों के साथ बैठक करना।
- गांव की महिलाओं के साथ बैठक करना।
- गांव में बने पुराने स्व-सहायता समूहों के साथ बैठक करना।
- गांव में काम कर रहे समूहों, संगठनों एवं ग्राम सभा प्रतिनिधियों के साथ बैठक करना।

नुक्कड़ नाटक

- गांव में टोलों, फलियों में सभी को इकट्ठा करके समुदाय के साथ ऐसी खास जगहों पर जहां लोगों को इकट्ठा करके उन्हें दिखाया जा सके, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं।

रैलियां

- महिलाओं के साथ गांव में।
- स्व-सहायता समूहों के साथ गांव में।

फिल्म-शो

- गांव में समुदाय को इकट्ठा करके एक जगह समूहों से जुड़ी फिल्म दिखा सकते हैं।
- स्व-सहायता समूहों के माध्यम से बदलाव और विकास के कामों पर फिल्म दिखा सकते हैं।
- स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों और गांव के विकास के कामों पर फिल्म दिखा सकते हैं।

खेल गतिविधियां

- गांव की महिलाओं के साथ।
- गांव में बने स्व-सहायता समूह की महिलाओं के साथ।
- गांव के युवक और युवतियों के साथ।
- गांव के बच्चों के साथ।
- ग्राम सभा की समितियों के साथ।

अनुभव आदान-प्रदान बैठकें

अनुभव आदान-प्रदान बैठकों का मतलब है कि जिन गांवों में अच्छा काम हुआ है उन गांवों के अलग-अलग तरह की जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों का चयन कर एक संवाद समूह बनाना और इस संवाद समूह का जिन गांवों में ग्राम प्रवेश गतिविधियां चल रही हैं वहां पर बैठकों का आयोजन कर संवाद कराना। इस संवाद समूह में ग्राम सभा प्रतिनिधि, समूह के सदस्य, समूह के अध्यक्ष/सचिव, समूह प्रेरक, कुछ जागरूक महिलाएं शामिल हो सकती हैं।

ग्राम प्रवेश कार्य की शुरुआत

आजीविका मिशन का कार्य शुरू करने के लिये गांव में जाकर समुदाय के साथ संवाद किया जाता है। इसके लिये कई तरह की ऐसी गतिविधियां करनी पड़ेंगी जिससे न सिर्फ

शराब बंदी के लिए समिति की पहल

नरसिंहपुर जिले के रामनिवारी संकुल के अंतर्गत डेढ़ से दो हजार आबादी वाले मानेगाँव में डी.पी.आई.पी. के माध्यम से 10 स्व-सहायता समूहों के जरिये 110 महिलाएँ संगठित हुई हैं। ग्राम उत्थान समिति का बैठक सुधा बाई की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें गाँव की दो बड़ी समस्याओं - अवैध शराब की बिक्री पर रोक एवं साफ सफाई पर जागरूक करने पर चर्चा की गई। इन दोनों मुद्दों को गाँव में होने वाली ग्राम सभा में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

गाँव में होने वाली ग्राम सभा में स्व-सहायता समूहों की महिलाएँ उपस्थित हुई। ग्राम सरपंच, सचिव बैठक हाल में बैठे और महिलाओं की उपस्थिति देखकर हैरत में आ गये। जिले से आई.टी. समन्वयक सुश्री श्वेता मेहतो एवं सहयोग दल रामनिवारी के सदस्य श्री अशोक ठाकरे भी बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में महिलाओं से पूछा गया कि आपकी क्या समस्याएँ हैं। महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि गाँव में शराब बंद होनी चाहिए। शराब पीकर लोग घर में अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं तथा देर रात घर में लौटते हैं और झगड़ते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जवाब में सरपंच एवं अन्य नागरिकों द्वारा शराब बंद करने की बात की गई। गाँव के लोगों को शराब न पीने पर समझाईश देने पर चर्चा की गई। इसी तरह से महिलाओं को भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करने को कहा गया। सरपंच द्वारा हर संभव मदद की बात कही गई। बैठक में महिलाओं ने निर्णय लिया कि वे प्रत्येक रविवार को रैली के माध्यम से लोगों को शराब न पीने के लिए जागरूक करेंगी। महिलाओं द्वारा प्रत्येक रविवार को ग्राम उत्थान समिति कार्यालय से पूरे गाँव में रैली निकालने व नारे लगाने का जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गया। इसी तरह लगातार दो माह तक प्रत्येक रविवार को रैली निकाली गई।

आर-सेटी प्रशिक्षण से बदला जीवन

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र कल्याणपुर, शहडोल द्वारा माह जून में आयोजित टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर रिपेयरिंग प्रशिक्षण में प्रतिभागी के रूप आये रघुनाथ चौधरी ने अपने हुनर को तराशा। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा चयनित और प्रायोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने रघुनाथ ने वाहन रिपेयरिंग का काम सीखा। पूर्व में अपने ग्राम मझगंवा में वह केवल सायकल पंचर बनाना जानता था परंतु प्रशिक्षण के उपरांत उसके हुनर में वृद्धि हुई और अपने चार पहिया वाहन सुधारने का काम अपने ही गांव में उसने शुरू किया। रघुनाथ के पास इस कार्य के लिए आवश्यक औजारों की कमी थी। जो उसने धीरे-धीरे अपने पूर्व व्यवसाय से लाभ प्राप्त करते हुये खरीदा। आज रघुनाथ की मासिक आमदनी 1200 रुपये से बढ़कर 6000 से 7000 रुपये हो गयी है। रघुनाथ मैकेनिक के काम के साथ-साथ अपनी पत्नी के सहयोग से बकरी पालन का काम भी करता है। रघुनाथ ने अपने बचपन में स्कूल का मुंह नहीं देखा परंतु प्राथमिक शाला पास उसकी पत्नी श्रीमती कौशिल्या चौधरी हिसाब-किताब में उसकी मदद करती है। तीनों बेटियां और बेटा स्कूल जाते हैं। रघुनाथ का सपना है कि भले उसे तालीम नहीं मिली परंतु उसके बच्चे पढ़-लिख कर आगे बढ़ें।

जिन्दगी बदल गयी

कराहल आदर्श विकासखण्ड के ग्राम गोरस निवासी प्रमोद आदिवासी को अब काम के लिये यहां-वहां नहीं भटकना पड़ रहा है। उसकी जिन्दगी में आमूलचूल बदलाव आ गया है इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सहरिया परिवार के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शुरू की गई सहरिया सेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला श्योपुर ने इसमें एक सेतु का काम किया है।

म.प्र. के अत्यंत पिछड़े तथा आदिवासी बाहुल्य जिला श्योपुर के ग्राम गोरस निवासी प्रमोद मुरलीधर आदिवासी को म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना कार्यक्रम में ग्राम गोरस के आजीविका मित्र के रूप में परियोजना सहायता दल द्वारा चिन्हित किया गया। प्रमोद सहरिया समाज के उन गिने-चुने युवाओं में से एक है जो शिक्षित होकर बेरोजगार था। उसके समाज के अधिकतर युवा रोजगार के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं। मजदूरी ही उनके परिवार की दो वक्त की रोटी का मुख्य जरिया होती है किंतु प्रमोद को मजदूरी करना रास नहीं आता था। वह सरकारी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर ग्राम भ्रमण के दौरान उनसे मिलकर गांव में सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देता था। म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना कार्यक्रम में परियोजना सहायता दल ने उसकी यह खूबी देखकर उसे गांव का आजीविका मित्र बनने की प्रेरणा दी। वर्ष 2013 की शुरुआत में राज्य शासन द्वारा अति पिछड़े वर्ग में शामिल सहरिया समाज के उत्थान के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर श्योपुर द्वारा सहरिया सेल के नाम से आदिम जाति कल्याण विभाग के नेतृत्व में सेल गठित की गयी। जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन सहित अन्य विभागों को सेल में शामिल किया गया। सेल द्वारा सहरिया समुदाय के पढ़े-लिखे युवाओं के आवेदन उन्हें विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर सीधे नियुक्ति प्रदान करने के लिये दिये गये। मिशन के कार्यकारी स्टाफ द्वारा पढ़े-लिखे सहरिया युवाओं को आवेदन देने के लिये समझाईश दी गयी। प्रमोद सहित क्षेत्र के दो दर्जन युवाओं द्वारा माह फरवरी 2013 में अपने आवेदन प्रस्तुत किये गये।

प्रमोद ने बताया कि आवेदन देते समय भी उसने यह नहीं सोचा था कि इससे उसकी जिन्दगी मे इतना बड़ा बदलाव आयेगा एवं आवेदन करने के बाद वह इसे भूल गया। मई 2013 में उसे पर्यटन विभाग से साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिये पत्र प्राप्त हुआ। ग्वालियर मे उसके दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया। भोपाल में आयोजित साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने के पश्चात् जून 2013 में उसे पर्यटन विभाग द्वारा खुजराहो में भृत्य के पद पर नियुक्ति दी गयी। वर्तमान में वह अपने परिवार के साथ खुजराहो में रह रहा है। गांव में रहने वाले उसके पिता मुरलीधर गर्व से बताते हैं कि उसका पुत्र दस साल तक लगातार सक्रिय रहा, समाज के गरीब लोगों के लिये काम किया जिससे उसे 11000 रु. प्रति माह की नौकरी मिल सकी।

लोगों से संपर्क संबंध मजबूत बनते हैं बल्कि गांव की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली जानकारी भी इकट्ठी होती है। गतिविधियों का चयन पूर्व के अनुभवों एवं समुदाय के साथ होने वाली गतिविधियों से निकले अनुभवों पर तय किया जाता है। परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार निर्धारित गतिविधियों में बदलाव किया जाता है।

- ग्राम प्रवेश गतिविधियों में समुदाय की खासकर महिलाओं एवं गरीबों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये बच्चों के साथ अलग से कुछ खेल गतिविधियां की जाती हैं।
- गांव में ग्राम प्रवेश गतिविधियां जब चल रही हों तब गांव में कुछ सरल भाषा में बनाये गये चित्रों वाले पर्चे/पोस्टर बांटे जाते हैं, चिपकाये जा सकते हैं (घरों की दीवालों पर लगाये जा सकते हैं) इससे गांव में माहौल तैयार होता है।
- गांव में काम शुरू करने से पहले एक अच्छा मैसेज देने वाला नुक्कड़ नाटक दिखाया जाता है जिसके माध्यम से गांव में क्या होना है, कैसे होना है बताया जा सकता है और नाटक की समाप्ति पर समुदाय से संवाद शुरू किया जाता है।

ग्राम भ्रमण

ग्राम प्रवेश करने वाली टीम एक या एक से अधिक हिस्सों में बंटकर स्थानीय समुदाय को साथ लेकर गांव का भ्रमण करती है। इससे गांव की परिस्थितियों, संसाधनों, गरीब टोलों-फलियों और गरीबी की स्थिति को सहज ही समझा जा सकता है। ग्राम भ्रमण के पश्चात् सभी जगह जानकारी देते हुए बाद में एक जगह कहां पर, कितने बजे, एक साथ जानकारी देने के लिये इकट्ठा होना है यह बताया जाता है और कुछ समय पश्चात् या शाम को एक बड़ी बैठक आयोजित कर परिचय और संवाद की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस विधि से गांव की सामाजिक परिस्थितियों, संसाधनों के वितरण बसाहट, आर्थिक स्थिति को समझने के लिये क्षेत्र भ्रमण उपयोगी है।

गांव के परिवेश को समझने के लिये आवश्यक जानकारी

गांव की सामाजिक स्थिति, भौगोलिक एवं प्राकृतिक संसाधन वहां रहने वाले लोगों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। अतः इन्हें समझने के बाद ही गांव के समग्र विकास की निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं-

- गांव की भौगोलिक संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी।
- गांव की जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य की जानकारी।
- सामाजिक संरचना की जानकारी।
- प्रचलित रीति-रिवाज के बारे में जानकारी।
- समुदाय के सामाजिक-राजनैतिक

व्यवहार की जानकारी।

- गांव में सम्मान प्राप्त मुख्य लोगों की जानकारी।
- पहले से कार्य कर रहे किसी मिशन या संस्था के बारे में जानकारी।
- मुख्य समस्या या मुद्दे जिन पर तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है।
- कौन-कौन से विभाग कार्य कर रहे हैं एवं उनके द्वारा किस प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।
- समूहों की स्थिति और प्रगति की जानकारी।
- रोजगार एवं आजीविका के साधनों की जानकारी।
- प्रमुख रोजगार/व्यवसाय और उसे प्रभावित करने वाले पक्षों की जानकारी।
- कब उधार लेते हैं, किस काम के लिये लेते हैं, किन माहों में उधार नहीं लेना पड़ता है। कितना ब्याज देना पड़ता है।
- शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों को मिल रहा है या नहीं।
- मजदूरी का समय, प्रकार, मेहनताना की जानकारी।
- पलायन पर कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कितने दिन रहते हैं, क्या कमाते हैं।
- परिवारों के पास खेती कितनी है, सिंचाई के साधन क्या हैं, कितनी फसलें लेते हैं। उन्नत बीज, नई तकनीकी का कैसे उपयोग करते हैं।
- परिवारों के पास कौन से पशु हैं, उनका क्या उपयोग है, उनके खिलाने, पिलाने के लिये क्या करते हैं। बीमारी और इलाज की क्या स्थिति है। इसमें आप अपने अनुभवों के आधार पर अन्य बिन्दुओं को भी शामिल कर सकते हैं।

ग्राम प्रवेश के समय क्या ध्यान रखें

- गांव के बारे में जानकारी का संकलन करें। इस संकलित जानकारी का अध्ययन करें एवं उसका एक विश्लेषण भी तैयार करें।

- गांव में जाकर पहले गांव के वातावरण को समझें एवं उसके अनुसार ही अपनी बात रखें।
- यह विशेष ध्यान रखें कि आपकी किसी भी बात से गांव में किसी प्रकार का वाद-विवाद या अनुचित अपेक्षा का आधार तैयार ना हो एवं ना ही लोग आपसे किसी प्रकार की मांग करने लगें।
- अपना परिचय अवश्य दें एवं साथ में ग्रामीणों को ऐसा कोई अहसास ना करायें कि हम आपकी समस्त समस्याओं के निराकरण या आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आये हैं।
- ग्रामीणों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का सहजता के साथ उत्तर दें।
- किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष से नजदीकी न रखें, ताकि अन्य लोग आपसे दूरी ना बनायें।
- समुदाय के सभी लोगों के साथ संवाद करें एवं सभी को बराबर सम्मान एवं महत्व दें चाहे वे किसी भी वर्ग के हों।
- गांव में लोगों के साथ चर्चा करने के बाद गांव का भ्रमण करें। ऐसा करने से गांव को समझने में मदद मिलेगी साथ ही गांव के संबंध में आपकी समझ बढ़ेगी।
- गांव के भ्रमण के दौरान आपके द्वारा पूर्व में किये गये विश्लेषण को भी परखें जिससे आपके द्वितीयक स्त्रोतों से जुटाई गई जानकारी की वास्तविकता का भी पता चल सके।

परिणाम

- गांव में समुदाय को विशेषकर गरीब और महिलाओं को मिशन और ग्राम प्रवेश गतिविधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जायेगी।
- गांव के गरीब एवं महिलाओं को मिशन के तौर तरीके, प्रक्रिया, गतिविधियां और लाभ प्राप्त करने की स्थितियों की जानकारी मिल जायेगी।
- विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से निकली जानकारियों को सरल रूप में समुदाय के सामने प्रस्तुत करने पर उन्हें विश्लेषण करने में मदद मिलेगी जिससे गरीब और महिलाएं बदलाव के लिये स्व-सहायता समूहों के निर्माण एवं उनसे जुड़ाव के लिये तैयार होंगे।
- विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से जो माहौल बनेगा उससे गांव में पुराने समूहों को मजबूत करने और नये समूहों को गठित करने में समुदाय की मदद मिलेगी और काम आगे बढ़ेगा।

बदलाव के कदम

मध्यप्रदेश के स्व-सहायता समूह

क्या हैं स्व-सहायता समूह : स्व-सहायता समूह ग्रामीण और गरीब तबकों के लिए एक ऐसी पहल हैं जो सरकार की लोकल्याणकारी अवधारणा पर केंद्रित होते हैं। गांवों में शहरी क्षेत्रों की पिछड़ी बस्तियों में स्व-सहायता समूह बदलाव के कदमों की तरह हैं। स्व-सहायता समूह कमाई के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए हैं। इनके माध्यम से हम अपने समाज को मार्गदर्शन एवं रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इसलिए स्व-सहायता समूह का गठन कर काम करें। स्व-सहायता समूह आजीविका का साधन होने के साथ ही समाजसेवा का माध्यम भी हैं। अगर हम अपना काम ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मेहनत के साथ करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्व-सहायता समूह का गठन कर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं रोजगार की संभावनाओं का सृजन किया जा सकता है।

स्वसहायता समूहों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य : कोई भी योजना अथवा कदम बिना उद्देश्यों को निर्धारित किये संभव नहीं हैं। आइए स्व सहायता समूह के बारे में जानने से पहले यह भी जान लें कि इनका उद्देश्य क्या है- स्व-सहायता समूहों के गठन की प्रक्रिया एवं गठन के समय ध्यान देने वाली बातों से परिचित कराना। समूहों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से परिचित कराना। समूह से जुड़े विभिन्न विषय जिन पर वे अपने नियम बना सकते हैं और मजबूत समूहों के लक्षणों से परिचित हों। साप्ताहिक बैठक के एजेण्डा और उससे होने वाले लाभ को जान सकें। इसी के साथ असंगठित ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों को संगठित करना। समूह में छोटी-छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन-देन के लिए सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना। समूह से जुड़े महिलाओं एवं पुरुषों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है।

स्व-सहायता समूह की पहचान : इस बार सरकार द्वारा स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति घोषित की गई है। समूह संवर्द्धन नीति में स्व-सहायता समूह एवं उनके गतिविधि आधारित फेडरेशन निर्माण, सशक्तीकरण एवं उन्हें विभिन्न उत्पादक गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह एवं बैंकों से जुड़ाव के ऊपर विभिन्न शासकीय तथा गैर शासकीय संस्थाओं एवं अभिकरणों द्वारा कार्य किया गया है। अतः मिशन द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाये गये स्व-सहायता समूह को मजबूत करते हुए समन्वय के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परियोजना ग्रामों में बनाये गये समूहों के आंकड़े एकत्रित किये गये। इसके बाद परियोजना सहायता दल और समूह प्रेरक द्वारा प्रत्येक समूह के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक कर विभिन्न तय मापदंडों के आधार पर समूहों का परीक्षण किया जाकर उनकी ग्रेडिंग की जाती है तथा विभिन्न श्रेणी के समूहों के लिए पृथक-पृथक प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन की रणनीति बनाई जाकर कार्य किया जायेगा जिसके अंतर्गत अच्छे समूहों को वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना, कमजोर समूहों को सक्रिय करना, बंद पड़े समूहों को पुनर्गठित करना इत्यादि महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के समानांतर जो परिवार समूह से नहीं जुड़े हैं उन्हें पुराने समूहों में या नये समूह गठन के माध्यम से संगठित किया जायेगा। शुरुआती दौर में स्व-सहायता समूह के सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया। आवश्यकतानुसार अच्छे समूहों की पहचान कर समूहों के ग्राम स्तरीय संगठन बनाने का कार्य शुरू किया गया और अब समुदाय आधारित सूक्ष्म वित्तीय संस्था के रूप में इन्हें विकसित किया

जा रहा है। स्व सहायता समूह के लिए ग्रामीण परिस्थितियों में समूह को आर्थिक गतिविधियों का मंच बनाने का प्रयास है।

समूह गठन से पहले किन तैयारियों की आवश्यकता होती है : हमें सबसे पहले महिलाओं की बैठक बुलाना चाहिए। इसके बाद बैठक में महिलाओं से गांव में हो रहे काम, प्रगति, बदलाव की बात करनी चाहिए। सदस्यों की सहमति से समूह का एक नाम भी रख लेना चाहिए। सब लोग खुश हैं या नहीं- सब की गुजर बसर ठीक से हो रही है या नहीं पर चर्चा करें। इससे सामाजिक भावना का विकास होता है। खेतीवाड़ी, काम धन्धे कैसे चल रहे हैं। कमाई कैसी होती है, काम चल पाता है या नहीं पर चर्चा करें। इससे हमें नए तरीके सूझते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, आंगनवाड़ी जाते हैं, दवाई-इलाज समय पर हो जाता है, दिक्कत तो नहीं आती है, इन मुद्दों पर चर्चा करें।

अर्थात् गांव में जब गरीब परिवारों की महिलाओं के साथ बातचीत शुरू हो तो उन परिवारों से जुड़ी एक या दो समस्याओं पर चर्चा करके उन्हें यह सोचने के लिये प्रेरित करना है कि वास्तव में यह समस्या क्यों है, इसकी असली वजह क्या है, हम यह समस्या अभी तक ठीक क्यों नहीं कर पाये। बताई गई किसी एक समस्या को लेकर उस पर चर्चा करें कि उसके जन्म के क्या कारण हैं, वह बढ़ती क्यों है, उसे दूर करने के लिये क्या कर सकते हैं। इस समस्या के निदान में हमारी भूमिका क्या है या हमारी जिम्मेदारी क्या है।

समूहों को आर्थिक सहायता : स्व-सहायता समूहों का गठन एवं विकास के लिये आर्थिक गतिविधियां और सहायता आवश्यक है। इसके लिए सरकार की ओर से पर्याप्त सहयोग मिलता है। एनआरएलएम द्वारा स्व-सहायता समूहों के लिये रिवाल्विंग फण्ड प्रति एसएचजी कम से कम रुपये 10,000/- और अधिकतम रुपये 15,000/- उपलब्ध करायेगा। उपभोग और प्रारंभिक उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के अलावा, रिवाल्विंग फण्ड सहायता से ऋणों और निधियों के प्रबंधन में एसएचजी की क्षमता बढ़ेगी। रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त करने के लिए एसएचजी की पात्रता अनुसार कम से कम पिछले 6 महीनों से एसएचजी को सक्रिय रूप से मौजूद होना चाहिये। पंचसूत्र के पालन आधार पर ग्रेड-पार करना चाहिये।

स्व-सहायता समूह को ब्याज में छूट मिलती है लाभ लें : स्व-सहायता समूह के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिये गये सभी ऋणों पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर से ज्यादा लिया गया ब्याज एनआरएलएम द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। सात प्रतिशत से ऊपर की ब्याज राशि आजीविका मिशन द्वारा वित्तीय संस्थाओं को पुनर्भुगतान (रियम्बर्स) की जाती है। यह सब्सिडी प्रत्येक गरीब परिवार को 3 लाख रुपये तक के ऋण में प्राप्त है। ब्याज सब्सिडी की आवधिक रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते लाभार्थी नियमित रूप से ऋण का पुनर्भुगतान करता रहे। सशक्त समूहों के लक्षण या पहचान की जा सकती है। वे स्व-सहायता समूह सशक्त होते हैं जिनमें प्रत्येक सप्ताह बैठक होती हो। सभी सदस्यों की उपस्थिति हो। नियमित बैठक, बचत, आंतरिक लेन-देन, ऋण वापसी एवं पुस्तक संचालन का पालन करना। पुस्तक संचालक को अपनी आय से मानदेय देना। प्रत्येक माह में बैंक में लेन-देन जरूर करना। समूह में अतिगरीब और जरूरतमंद को पहले ऋण देना। समूह के लिए नियम बनाकर, सभी को उसका पालन करना चाहिए। प्रत्येक सदस्य ने समूह निर्माण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण लिया हो।

साप्ताहिक बैठकों का आयोजन एक नये सदस्य के घर में हो रहा हो और साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता उस सदस्य के द्वारा की जा रही हो जिसके घर में बैठक रखी गई है। समूह को हर दो साल में एक बार अध्यक्ष, सचिव को सर्वसम्मति से बदलना चाहिए। अर्थात् नये सदस्यों को मौका देना चाहिए। समूह को साल में एक बार अपने हिसाब-किताब का ऑडिट करवाना चाहिये। समूह हर समस्या या जरूरतों पर बैठक में एजेण्डा बनाकर चर्चा करता हो और सर्वसम्मति से निर्णय लेता हो।

समूह में सभी सदस्यों को प्रमुख सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी होनी चाहिये। अपनी आवश्यकता के अनुसार जिनके वो पात्र हैं और लाभ लेना चाहिए। समूह के सदस्यों को अपनी समस्त जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह में ही ऋण लेना चाहिए उन्हें साहुकार, महाजन, और व्यापारियों से ऋण नहीं लेना चाहिए। समूह के प्रत्येक सदस्य को अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। समूह सदस्य अपने-अपने परिवार में आजीविका विकास में मददगार बनें और सहमति से समूह में भी कोई आजीविका कार्य करें एवं प्रारंभ कर सकती हैं। साप्ताहिक बैठकों में समूह की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए। बैठक के लिये विषय तय करना। प्रत्येक सदस्य की बचत इकट्ठी करना। लिये गये ऋणों की वापसी करना। नये ऋणों की मांग और प्रस्ताव पर विचार करना। प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करना और प्रदान करना। दस्तावेजों में की गई कार्रवाई एवं लेन देन दर्ज करना। अन्य मुद्दों पर चर्चा करना। बैठक में की गई कार्यवाही को पढ़कर सुनाना।

स्व-सहायता समूह के लिए बैंक खाता खोलने के लिये आवश्यक दस्तावेज जिनकी जरूरत होती है -

- स्व-सहायता समूह सदस्यों की सूची।
- समूह की नियमावली की प्रति।
- उस बैठक के कार्यवाही की प्रति जिसमें सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि चुने हैं।
- समूह की बैठक में बैंक खाता खोलने तथा इसके संचालन संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति।
- प्रत्येक चयनित प्रतिनिधि (अध्यक्ष, सचिव) के तीन फोटो।
- वोटर पहचान-पत्र/राशन कार्ड/पहचान के अन्य दस्तावेज की छायाप्रति।
- बैंक खाता खोलने के फॉर्म में परिचयदाता के हस्ताक्षर।
- समस्त समूह सदस्यों की एक साथ एक फोटो भी लगा देना चाहिये।

• रवीन्द्र स्वप्निल

गांव के विकास की कुंजी ग्रामस्तरीय संगठन

भारत में गांव ही पहली आर्थिक इकाई थी और कुछ हद तक आज भी हम उस संरचना से अछूते नहीं हैं। गांव और शहर अब इसी अंतर से पहचाने जाते हैं। शहर की अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि अलग तरीके से चल रही हैं। हमारे गांव जब तक आर्थिक गतिविधियों को संचालित नहीं करेंगे तब तक विकास का यह असंतुलन बना रहेगा। सरकार चाहती है कि ग्राम विकास के लिए आवश्यक है कि ग्रामस्तरीय संगठनों का समुचित तरीके से गठन हो और उनकी क्षमता का विकास भी हो।

ग्रामस्तरीय संगठन : ग्राम संगठन ग्राम में गठित समूहों का समूह है जिसे समूहों का परिसंघ (ग्रामस्तरीय संघटन) कहा जा सकता है। यह संघटन ग्राम में गठित स्व-सहायता समूहों का एक संघ है, जो ग्राम स्तर पर स्थाई रूप से उनके द्वारा ही संचालित होगा। स्व-सहायता समूहों के सशक्तीकरण हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। स्व-सहायता समूहों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन होगा यह। इसकी भूमिका का विस्तार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा।

स्व-सहायता समूहों को अन्य सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन : ग्राम संगठन का अर्थ है कि गांव के सभी समूहों को मिलाकर एक ऐसा मंच तैयार करना जिसमें सभी समूहों के कार्य की देखरेख हो सके। ऐसी समस्याओं को मिलकर दूर करना, जो समूह स्तर पर न सुलझ पाएं। गांव की सामाजिक समस्याओं को दूर करना, समूह के लिये पूंजी जुटाना एवं गांव की संपत्ति तथा सरकारी विकास कार्यक्रम का सही लाभ योग्य और पात्र परिवारों को खासकर समूह की सदस्यों को दिलाना है। ऐसा संगठन जो समूहों की महिलाओं को संगठित कर उनकी सामाजिक परिस्थितियों में सुधार कर सके, आर्थिक स्थिति मजबूत बना सके, उनके हक और अधिकारों का उपयोग करने में मदद करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमान से जीना सीखा सके।

ग्रामस्तरीय संगठन द्वारा किए जाने वाले काम : गाँव के गरीब परिवार जो समूह में नहीं जुड़े हैं उनकी पहचान कर उन्हें समूह से जोड़ना। गाँव के सभी समूहों को एक बनाने (संगठित करने) और उन्हें सहयोग, मार्गदर्शन करने का काम करना। समस्याएँ जो छोटे-छोटे समूहों द्वारा नहीं सुलझ सकती हैं उन समस्याओं को सुलझाने का काम करना। ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूहों के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करने का काम करना। समूह सदस्यों के हित में विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के निराकरण हेतु प्रयास करने का काम करना। समूहों के सदस्यों को भविष्य में विभिन्न योजनाओं से पात्रतानुसार लाभ दिलाने का काम करना। सरकारी/गैर सरकारी बैंक एवं संस्थाओं से संबंध स्थापित करने एवं समूहों को ऋण दिलाने में मदद करना। समूहों को विभिन्न प्रकार की उपयोगी एवं आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने का काम। समूहों द्वारा परस्पर सीखने एवं सिखाने की परिस्थितियां बनाना। समूहों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर उनका क्षमतावर्द्धन करके कमजोरी दूर करने का काम करना। समूह के सदस्यों की आजीविका को बढ़ाने के लिये बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से समन्वय कर पूंजी उपलब्ध करवाना। अन्य विभागीय योजनाओं से समन्वय स्थापित करना एवं समूह सदस्यों को लाभ दिलाना। समूह एवं ग्राम संगठन को सहयोग करने के लिये आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के सी.आर.पी. की पहचान करना एवं उनका क्षमतावर्धन करना। उनका बिजनेस प्लान तैयार कराकर उन्हें उचित मानदेय/प्रोत्साहन राशि दिलाना।

ग्राम में स्थित सरकारी संस्थाओं जैसे- स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी, स्कूल, राशन दुकान, पंचायत, पशु चिकित्सालय आदि के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी सेवाओं को सदस्यों तक पहुँचाना। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर समस्याओं के निदान हेतु रास्ता ढूंढ़ना एवं निराकरण करना जैसे- बाल विवाह, लड़कियों की शिक्षा, बाल मजदूरी शराबबंदी, सामाजिक कुरीतियां आदि। सरकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा उसको उपलब्ध करवाने हेतु समन्वय

स्थापित करना। सी.आर.पी. का चयन कर उनके कार्यों जैसे - लेखा कार्य, प्रशिक्षण तथा समूह की देखरेख, सभी कार्यों का मूल्यांकन करना एवं मानदेय प्रदान करना आदि कार्य हैं। समूह के परिवारों के कमजोर लोग जैसे-असहाय व्यक्ति, विधवा महिला, निःशक्त, वृद्ध इत्यादि व्यक्तियों को सरकारी योजना एवं उनकी सेवाओं से मदद करना। ग्राम सभा के साथ समन्वय स्थापित करना और सम्बन्ध बनाना।

ग्रामस्तरीय संगठन की मजबूती के लिये समूहों को कुछ बातों पर विचार करना होगा : समूहों के द्वारा ग्रामस्तरीय संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी हो। ग्रामस्तरीय संगठन के मूल सिद्धांत एवं नियम तय करना। संगठन का ढांचा तय करना। संगठन की बैठक की प्रक्रिया, समय, स्थान, अंतराल, कार्यवाही की प्रक्रिया आदि तय करना। संगठन के नेतृत्व की पहचान एवं चयन करना। भविष्य में नेतृत्व का बदलाव और उसकी प्रक्रिया तय करना। नेतृत्व करने वाले पदाधिकारियों की भूमिका एवं जिम्मेदारी तय करना। पंजीयन की प्रक्रिया और कार्यवाही करना। संगठन की कार्य योजना बनाना, उसकी समीक्षा करना, आवश्यकतानुसार बदलाव करना। संगठन के द्वारा किये जाने वाले सामाजिक कार्यक्रम तय करना। संगठन के दस्तावेज बनाना, ठीक से रखना। दस्तावेज लिखने वाले का चयन करना, उसे मानदेय देना, प्रशिक्षित करना।

परिसंघों का गठन, जिम्मेदारियां

गठन : मिशन मौजूदा एसएचजी और एसएचजी परिसंघों (ग्रामस्तरीय संघटनों) की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये उन्हें सहायता देगा। पहले से बने हुये समूहों को परिसंघ में बदलने के लिये और पहले से बने हुये परिसंघों को मदद करने के लिये उनकी स्थिति, प्रगति के आधार पर ग्रेडिंग करनी होगी। इन मौजूदा समूहों और परिसंघों की गुणवत्ता की ग्रेडिंग तीन आधारों पर की जायेगी।

वे समूह या परिसंघ जो बुनियादी मानदण्डों का पूरा करते हों। वे समूह या परिसंघ जिन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता हो। वे समूह या परिसंघ जिनके साथ कार्य नहीं किया जा सकता हो।

ग्राम स्तर पर 10 से 12 समूहों के बीच में परिसंघ बनाया जा सकता है परन्तु यदि एक गांव में समूह कम हैं तो पंचायत स्तर पर स्व-सहायता समूहों के बीच में एक परिसंघ बनाया जा सकता है। विशेष स्थितियों में गांवों में समूहों की संख्या कम होने या मजबूत समूहों की संख्या कम होने पर काम शुरू करने के लिये कम से कम 5 से 7 समूहों के साथ ग्राम संगठन की अनौपचारिक शुरुआत की जा सकती है। ऐसे गांव जहां ज्यादा समूह बनाये ही नहीं जा सकते या अभी परिस्थितियां नहीं हैं वहां 5 से 7 समूहों को मिलाकर भी ग्राम संगठन बनाने की शुरुआत की जा सकती है।

सामुदायिक निवेश निधि : सामुदायिक निवेश निधि एक ऐसी राशि है जो मिशन द्वारा समूह के सदस्यों के विकास हेतु एवं जरूरतमंद सदस्यों को इस निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। इस निधि से समूह के सदस्य अपनी छोटी-छोटी जरूरतों जैसे बीमारी, शादी-ब्याह, रोजगार आदि की पूर्ति करते हैं। यह राशि देने के पूर्व ग्राम संगठनों के समूह का वित्तीय अनुशासन एवं नेतृत्व जैसे मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। एस.आर.एल.एम. म.प्र. की स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार एक एसएचजी को लगभग 40000 से 60000 अर्थात् औसत रुपये 50,000/- की राशि प्रदाय की जा सकती है, परन्तु इसका समावेश एमसीपी में होना चाहिये एवं सभी सदस्यों को इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिये तभी उद्देश्यों की पूति होगी।

ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त करने की प्रक्रिया : सामुदायिक निवेश निधि के लिए ग्राम संगठन द्वारा संकुल कार्यालय में आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के साथ-साथ ग्राम संगठन अपनी वित्तीय जानकारी (प्राप्ति एवं भुगतान) भी संकुल क्रियान्वयन इकाई को जमा करेगी। इसके बाद ग्राम संगठन द्वारा स्व-सहायता समूहों के गठन एवं उनके प्रारंभिक व्ययों की व्यवस्था करने के लिये प्रारंभिक ऋण स्वीकृत किया जायेगा। यह प्रतिपूर्ति निम्न समूहों के प्रारंभिक ऋण पर उपलब्ध होगी :

पात्रता - समूह कम से कम पिछले 6 महीने (26 सप्ताह या अधिक) से पंच सूत्रों का पालन कर रहे हों यह समूह गरीब एवं अति गरीब परिवारों की महिलाओं के होने चाहिए। बचत एवं रिवॉल्विंग फण्ड पिछले 6 महीनों से छोटे ऋण के रूप में सदस्यों को आन्तरिक लेन-देन के रूप में दिये जा रहे हों। समूह ने अपना सहभागी सूक्ष्म ऋण आवश्यकताओं की योजना का विकास किया हो तथा समूह सूक्ष्म ऋण योजना का पालन करता हो। समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् भी समूह के सदस्यों द्वारा पंच सूत्र और अच्छे प्रबन्धन तथा वित्तीय मानदण्डों के लिये प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे तभी भुगतान प्राप्त होगा। इसके बाद समूह द्वारा सामुदायिक निवेश निधि निकालने के पश्चात् समूह की बैठक में पूर्व से निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों को ऋण दिया जाये तथा ऋण वापसी की शर्तों के विषय में भी बताया जाये। उक्त कार्यवाही बैठक के मिनिट्स भी लिखे जायें।

परिणाम : ग्रामस्तरीय संगठनों की आवश्यकता एवं महत्व से परिचित होकर उन्हें बनाने और मजबूत करने के लिये किन बातों को ध्यान में रखते हुये किन-किन विषयों पर काम करने की आवश्यकता होगी यह पता लगेगा। संगठनों को भूमिका एवं जिम्मेदारी और मिलने वाली आर्थिक मदद पता लग जायेगी स्व-सहायता समूह और ग्रामस्तरीय संगठनों को मदद करने वाले (सामुदायिक रिसोर्स पर्सन) की पहचान, उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी पता लगेगी। इससे पूरे समुदाय में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आने वाले वक्त में ये संगठन अपनी सार्थकता को हासिल करेंगे।

● **उमेश साइखेड़कर**

सब्जी उत्पादन से हुई आय में वृद्धि

प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही हैं। अलीराजपुर जिले के ग्राम बोरकुण्डिया निवासी ललीबेन स्वसहायता समूह द्वारा सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर अपनी आय में वृद्धि करने के साथ-साथ गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत भी बन गई हैं।

"सब्जी तो हम उगाते थे परन्तु कब कहां किन बातों का ध्यान रखना होगा तथा कैसे उत्पादन बढ़ाकर तथा समय पूर्व सब्जी पैदा करने से होने वाले लाभ पाया जाता है इसकी जानकारी प्रशिक्षण से मिली जिससे हमें फायदा हो रहा है।" यह कहना है अलीराजपुर जिले के ग्राम बोरकुण्डिया निवासी श्रीमती ललीबेन पति मथुरा का जो कि श्रीराज स्वयं सहायता समूह संकुल-चन्द्रशेखर आजाद नगर की सदस्या हैं। यदि सही समय पर सही बात की जानकारी हो तो तरक्की तमाम कठिनाइयों को दूर कर आसमान छूने लगती है। गांव में ही रह कर अपने सपनों को सच करती ग्राम बोरकुण्डिया की ललीबाई इस बात की जीती-जागती मिसाल हैं। आजीविका मिशन से मिला सहयोग ललीबाई के जीवन में नयी रोशनी लेकर आया है। सब्जी उत्पादन में कुछ बातों का ध्यान रखकर ललीबाई अपने मुनाफे को बढ़ाकर औरों के लिये प्रेरणा बन रही हैं।

ग्राम में समूह की बैठकों में लगातार ग्राम में सब्जी के विपणन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चर्चा की जाती रही जिससे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला मिशन प्रबन्धन इकाई के संचालित स्व-सहायता समूह द्वारा प्रशिक्षण चाहने वाले समूह सदस्यों का चयन कर बैंक ऑफ बड़ौदा के स्वरोजगार विकास केन्द्र द्वारा ग्राम में 07 दिवसीय व्यावसायिक सब्जी उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाया गया जिसमें ग्राम में गठित कुल 13 स्वयं सहायता समूहों के 70 सदस्यों ने भाग लिया था। इन्हीं प्रशिक्षणार्थियों में से एक समूह सदस्य श्रीमती ललीबेन पति मथुरा ने अपनी दो एकड़ भूमि पर सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने की तकनीक एवं विपणन के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उसने समूह से 20000/- रु. का ऋण प्राप्त कर उन्नत प्रकार के सब्जी बीज एवं दवाईयों को क्रय किया। इस प्रकार ललीबेन ने प्राप्त सीख एवं अनुभवों के आधार पर अपने खेत के छोटी से भाग में गोभी, मिर्च, बैंगन, धनिया आदि को लगाना शुरू कर दिया तथा समय-समय पर प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी का उपयोग कर कार्य पद्धति एवं तरीकों में बदलाव करना प्रारंभ कर दिया। ललीबेन अपने खेत में सब्जी उत्पादन कर 150 से 200 रुपये तक प्रतिदिन आय अर्जित कर लेती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में पहले सब्जी उत्पादन में आय काफी कम थी। अब ललीबेन अपनी सब्जी को लेकर आजाद नगर, कट्ठीवाड़ा, बरझर के हाटबाजार के अलावा समीपस्थ गुजरात के दाहोद शहर में सब्जी बेचकर अपनी आय बढ़ा रही हैं। इस प्रकार वह अन्य महिलाओं के साथ अपने अनुभवों को बांटकर उन्हें भी प्रेरित कर रही हैं।

● **शिवानी वर्मा**

DPIP

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना

विकास के कदमों का आधार

मध्यप्रदेश के विकास की ओर बढ़ते कदमों को ठोस आधार प्रदान के लिए आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना से दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गयी। डी.पी.आई.पी. विश्व बैंक पोषित योजना है। इसका उद्देश्य जनभागीदारी, जनसहभागिता, समान आर्थिक आधार तथा समानता के आधार पर बने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों तक पहुंच कर उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करना है।

कार्यक्षेत्र : परियोजना के द्वितीय चरण के प्रारंभ की तिथि 13 अक्टूबर 2009 है। यह चरण म.प्र. के चयनित 15 जिलों - सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सिंगरौली, नरसिंहपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन एवं विदिशा के कुल 53 विकासखंडों के 4,806 ग्रामों में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना दिसम्बर 2014 में समाप्त होगी।

परियोजना संचालन : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परियोजना के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर पंजीकृत समिति Madhya Pradesh Society for Poverty Alleviation (MPSPAI) का गठन किया गया है।

परियोजना समन्वयक इसके प्रमुख हैं। परियोजना संचालन और प्रबंधन में विभिन्न विषयों के राज्य समन्वयक सहयोग करते हैं। जिला परियोजना इकाई के प्रमुख जिला परियोजना प्रबंधक हैं। ग्रामों में परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी परियोजना सहयोग दल की है।

क्रियान्वयन :

- सबसे पहले परियोजना सहयोग दल द्वारा ग्राम में वातावरण निर्माण कर सहभागी ग्रामीण समीक्षा के माध्यम से ग्राम का अध्ययन किया जाता है। ग्राम में निवासरत समस्त परिवारों को सूचीबद्ध करके बी.पी.एल. परिवारों को चिन्हांकित किया जाता है। इसके साथ-साथ शेष परिवारों की सहभागिता के साथ आर्थिक श्रेणीकरण भी किया जाता है। ग्रामीण परिवारों को 4 श्रेणियों- धनवान, मध्यम, गरीब तथा अतिगरीब श्रेणी में विभाजित किया जाता है। ग्राम सभा से आर्थिक श्रेणीकरण सूची का अनुमोदन के बाद बी.पी.एल. परिवारों के साथ-साथ आर्थिक श्रेणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से चयनित गरीब और

अतिगरीब परिवारों को परियोजना के लक्षित परिवारों में सम्मिलित किया जाता है।

- परियोजना की सामाजिक संरक्षण रणनीति के अनुरूप स्व-सहायता समूहों का गठन केवल महिला सदस्यों को सम्मिलित कर किया जाता है। स्व-सहायता समूह के गठन में साम्यता (एफिनिटी) को विशेष आधार बनाया जाता है। समूह के अंदर सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य और लगाव होना आवश्यक है ताकि समूह में निरंतरता और क्रियाशीलता रहे। परियोजना के तहत समूहों का पंजीकरण किया जाता है।

समूहों द्वारा पंचसूत्रों का पालन -

- नियमित साप्ताहिक बैठक।
- नियमित साप्ताहिक बचत - समस्त समूह सदस्य एक समान राशि साप्ताहिक बचत के रूप में जमा करते हैं। सदस्यों द्वारा की गई बचत से निर्मित निधि का उपयोग आकस्मिकता की स्थिति में आवश्यकतानुसार ऋण के रूप में लेन-देन में किया जाता है।
- ऋण लेन-देन।
- समयानुसार ऋण वापिसी।
- नियमित लेखा संधारण (बैठक विवरणी, केशबुक, लेजर आदि)
- लगातार 3 माह तक पंचसूत्रों का पालन करने के पश्चात् परियोजना द्वारा पात्र समूह के लिये अधिकतम रुपये 15,000/- (रु. पंद्रह हजार) के मान से सीड राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। इस राशि से उनकी निधि में वृद्धि होती है और वह प्रभावी रूप से लेन-देन करने में सक्षम होते हैं। यह राशि सीधे समूहों के बैंक खाते में अथवा जिन ग्रामों में ग्राम उत्थान समिति, ग्राम संगठन गठित हैं, उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। समूह, ग्राम संगठन से राशि ऋण के रूप में प्राप्त करते हैं और समूह सदस्य, समूह से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त कर अपनी गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हैं। निश्चित समयावधि में ऋण के रूप में प्राप्त राशि को वापिस भी करते हैं।

ग्राम संगठन : ग्राम संगठन, समूहों का ग्राम स्तरीय संगठन है, जिसकी साधारण सभा में ग्राम में गठित समूहों के समस्त सदस्य होते हैं। इसकी कार्यकारिणी समिति में प्रत्येक समूह से 2 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। समूहों द्वारा ग्राम संगठन की सदस्यता के लिये 200 रुपये प्रति समूह सदस्यता शुल्क, तथा यह राशि प्रत्येक माह 50 रु. प्रति समूह बचत राशि जमा की जाती है। राष्ट्रीयकृत बैंक में समूह के खाते में जमा होती है। ग्राम संगठन द्वारा नियमित रूप से पाक्षिक बैठक तथा नियमित लेखा संधारण (बैठक विवरणी, केशबुक, लेजर आदि) किया जाता है।

- ग्राम संगठन के अंतर्गत 5 उपसमितियां 1. सामाजिक अंकेक्षण 2. ऋण वसूली 3. बैंक लिंकेज 4. सामाजिक गतिविधि 5. रोजगार समिति गठित होती हैं। सामाजिक अंकेक्षण समिति सुनिश्चित करती है कि समूह सदस्यों द्वारा जिन कार्यों के लिए ऋण राशि प्राप्त की है, वह उन्हीं कार्यों के लिए राशि का उपयोग कर रहे हैं। ऋण वसूली समिति सुनिश्चित करती है कि समूह सदस्यों द्वारा समयानुसार ऋण वापिसी की जा रही है। बैंक लिंकेज समिति द्वारा समूहों के बैंक से कार्य व्यवहार एवं ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक गतिविधि समिति द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि में समूहों को सशक्त किया जाता है। रोजगार समिति द्वारा ग्राम में बेरोजगार युवक-युवतियों की पहचान कर उन्हें रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के तहत रोजगार तथा स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य किया जाता है।

  इस परियोजना द्वारा ग्रामीण समुदाय के बीच में से समूह एवं ग्राम उत्थान समिति को सशक्त करने के लिए ग्राम स्त्रोत व्यक्तियों का केडर विकसित किया है। इनका समुचित क्षमतावर्धन

किया गया है। प्रत्येक ग्राम में समूहों के लेखा तथा अभिलेख संधारण के लिये "बुककीपर" एवं ग्राम संगठन के लेखा एवं अभिलेख संधारण के लिये "ग्राम सखी" विकसित की गई हैं। प्राथमिकता के आधार पर महिला बुककीपर और ग्राम सखी को कम से कम आठवीं पास तथा समूह की सदस्य होना आवश्यक है। बुककीपर और ग्राम सखी को लगातार सहयोग देने और क्षमतावर्धन हेतु 6 से 7 ग्रामों के मध्य एक "मास्टर ट्रेनर" विकसित किया गया है। समूह की ऐसी महिलायें जो अपेक्षाकृत ज्यादा क्रियाशील हैं, मुखर हैं, उन्हें समुदाय प्रेरक के रूप में विकसित किया गया है, ऐसी महिलायें "ग्राम ज्योति" के नाम से जानी जाती हैं। यह महिलायें प्रदेश के अन्य ग्रामों में जाकर ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित कर स्व-सहायता समूह के गठन का कार्य करती हैं।

- 6 माह की अवधि के पश्चात् समूहों की ग्रेडिंग की जाती है। इस ग्रेडिंग में उत्तीर्ण समूहों को उनकी आजीविका योजना, माइक्रो इनवेस्टमेंट प्लान तैयार करने में सहायता की जाती है। इसके अनुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये अधिकतम रुपये 1,40,000/- (रु. एक लाख चालीस हजार) प्रति समूह के मान से आजीविका राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। समूहों अथवा समूहों के ग्राम स्तरीय परिसंघ ग्राम संगठन की मांग के अनुरूप परियोजना द्वारा यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस राशि से समूह सदस्य आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त कर अपनी गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हैं और निश्चित समय-सीमा में ऋण के रूप में प्राप्त राशि समूह अथवा ग्राम उत्थान समिति को वापिस करते है।

कन्वर्जेंस - समूहों की आजीविका योजना, माइक्रो इनवेस्टमेंट प्लान में निहित अतिरिक्त राशि की व्यवस्था के लिये उन्हें बैंकों से जोड़ा जाता है एवं विभिन्न योजनाओं से कन्वरजेन्स के लिये सहयोग किया जाता है।

- प्राकृतिक रूप से उभरती गतिविधियों के क्लस्टर में सम्मिलित हितग्राहियों को संगठित स्वरूप देते हुए परियोजना क्षेत्र में गतिविधि आधारित फेडरेशन जैसे- उत्पादक कंपनी, सोसायटी आदि का गठन किया जाता है। यह फेडरेशन संगठित रूप से आदान का क्रय तथा विपणन का कार्य करते हैं। परियोजना द्वारा स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति 2007 के तहत इन फेडरेशन के गठन, संचालन, कार्यशील पूंजी, अधोसंरचना विकास आदि में सहायता दी जाती है।

रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम : रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से विभिन्न उद्योगों प्रतिष्ठानों में नियोजन के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके साथ-साथ युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया कराया जाता है। स्व-रोजगार अथवा रोजगार से जोड़ा जाता है। इस कार्य के लिये प्रत्येक सहयोग दल कार्यालय में एक आजीविका केन्द्र की स्थापना की गई है। इस आजीविका केन्द्र में एक समुदाय स्त्रोत व्यक्ति "आजीविका मित्र" कार्यरत है जो कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने, इच्छुक युवाओं का पंजीयन करने तथा रोजगार मेलों तथा प्रशिक्षण आदि आयोजित करवाने में सहयोग प्रदान करता है। युवाओं की रुचि और कौशल के आधार पर रोजगार मेलों में विभिन्न संस्थानों को आमंत्रित किया जाता है। मेले में ही साक्षात्कार के बाद युवाओं का चयन होता है तथा ऑफर लेटर दिया जाता है। इसी तरह युवाओं की रुचि के आधार पर प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन कर कौशल आधारित प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण संस्था द्वारा ही प्रशिक्षण उपरांत युवाओं को नियोजन करवाने तथा स्व-रोजगार से जोड़ने में सहायता दी जाती है।

परियोजना प्रगति : कुल 3,99,752 महिलाओं को संगठित कर 34,811 स्व-सहायता समूहों तथा 3,972 ग्राम उत्थान समितियों का गठन किया गया है। समूहों द्वारा माह जून-2014 तक लगभग रुपये 36.02 करोड़ की बचत की गई है।

- माह जून - 2014 तक 30,197 समूहों के लिये रुपये 42.13 करोड़ की सीड राशि तथा 25,082 स्व-सहायता समूहों के लिये रुपये 275.77 करोड़ की आजीविका राशि के रूप में निवेश सहित कुल राशि रु. 317.90 करोड़ का निवेश किया गया है।
- 17,348 स्व-सहायता समूहों को बैंक से जोड़ा गया तथा 129.72 करोड़ रुपये का लिंकेज कराया गया है।
- परियोजना में सामुदायिक सेवा प्रदाता के रूप में 8,636 समूह बुक-कीपर, 3,407 ग्राम सखी, 1,173 ग्राम ज्योति एवं 759 मास्टर ट्रेनर कार्यरत हैं।
- लगभग 25,000 कृषकों को चावल उत्पादन के लिये उन्नत तकनीकी एस.आर.आई. से जोड़ा गया है। 3,685 ग्रामों में डेढ़ लाख से अधिक कृषक प्रमाणित बीज का उपयोग कर रहे हैं। परियोजना क्षेत्र के 36,000 से अधिक कृषक संवहनीय सब्जी उत्पादन से जोड़े गये हैं। जिलों में ताजी सब्जियों के विक्रय के लिये समूहों द्वारा 58 आजीविका फ्रैश खोले गये हैं।
- डेयरी के क्षेत्र में 10,000 से अधिक दुग्ध उत्पादक प्रतिदिन लगभग 40,000 लीटर दूध का संग्रहण कर दुग्ध संघ के माध्यम से विक्रय कर रहे हैं। पशुपालन विभाग की सहायता से चारा उत्पादन पर कार्य किया जा रहा है, जिलों में पशु केम्प लगाये गए हैं।
- 4,000 से अधिक महिला सदस्य मुर्गी

उत्पादन के कार्य में संलग्न हैं, सीधी जिले में फीड प्लान्ट की स्थापना की गई है।

- लगभग 32,000 समूह सदस्य सूक्ष्म उद्योग तथा व्यवसाय में संलग्न हैं। 412 समूह सदस्य हिन्दुस्तान यूनीलीवर के वितरक हैं। विंध्या वेली के साथ भागीदारी स्थापित की गई है। समूह सदस्यों द्वारा रायसेन और विदिशा जिले में आजीविका बाजार की स्थापना की गई।
- सागर जिले में हल्दी उत्पादन, शाजापुर जिले में संतरा उत्पादन, रीवा और रायसेन जिले में अगरबत्ती निर्माण, छतरपुर, नरसिंहपुर तथा राजगढ़ जिले में सेनेटरी नेपकिन तथा नरसिंहपुर जिले में डोरमेट निर्माण का क्लस्टर विकसित किया गया है।
- पर्यावरण के क्षेत्र में परियोजना ग्रामों में समूह सदस्यों द्वारा 46,000 से अधिक धुआं रहित चूल्हे तथा 2,000 से अधिक बायो गैस का निर्माण किया गया है। 8 जिलों के 209 ग्रामों में सोलर लाईट सिस्टम लगाये गए हैं। समूह सदस्यों द्वारा 10 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।
- समूह सदस्यों द्वारा ग्राम सभा की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया जा रहा है।
- परियोजना क्षेत्र में 18 उत्पादक कंपनियों (15 कृषि आधारित, 2 दुग्ध, 1 मुर्गी पालन) का गठन किया गया है। इन उत्पादक कंपनियों में 46,000 से अधिक शेयर होल्डर हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इन कंपनियों का टर्न ओवर लगभग 40.00 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2013-14 में लगभग 50,000 क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया है।
- पन्ना जिले में समूह सदस्यों द्वारा समुदाय आधारित बीमा संगठन "सक्षम महिला समुदाय कल्याण मण्डल" की फर्म्स एण्ड सोसायटी एक्ट के अंतर्गत स्थापना की गई है। महिलायें प्रतिवर्ष 300 रुपये का प्रीमियम जमा करती हैं। पति अथवा पत्नी की मृत्यु की दशा में परिवार को 15,000 रुपये की सहायता शीघ्र दी जाती है। अभी तक इसमें 6,799 महिला सदस्यों द्वारा 23.78 लाख रुपये का कोष इकट्ठा कर लिया गया है। मार्च 2014 तक 66 परिवारों को 9.90 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
- रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के तहत 30,321 युवाओं को विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा निजी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार और स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है। 485 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,33,778 से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे वस्त्र उद्योग, डायमंड कटिंग, निर्माण उद्योग, सिक्योरिटी, टैलीकॉम, इंश्योरेन्स, बिजनेस प्रमोशन, बायोप्लान्ट्स, इलेक्ट्रोनिक, एयर फोर्स, आर्मी, ऑटोमोबाईल तथा अन्य औद्योगिक इकाईयों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

● अंजू पवन भदौरिया
प्रशासन समन्वयक
डी.पी.आई.पी., मध्यप्रदेश

परियोजना प्रगति

विवरण	कुल लक्ष्य	प्रगति वित्तीय वर्ष 2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 लक्ष्य	2014-15 प्रगति	कुल प्रगति जून 2014 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
स्व-सहायता समूह गठन (संख्या)	30,000	5,262	5,646	10,744	8,018	4,563	2,000	578	34,811
लाभान्वित हितग्राही (संख्या)	3,00,000	63,166	66,036	1,22,559	89,588	51,688	20,000	6,715	3,99,752
ग्राम उत्थान समिति (संख्या)	3,750	840	668	1,052	946	399	-	67	3,972
कौशल आधारित प्रशिक्षण (सदस्य संख्या)	20,000	2,403	3,576	5,430	8,209	7,861	10,000	2,842	30,321
रोजगार मेलों के माध्यम से नियोजन (सदस्य संख्या)	20,000	9,572	38,904	30,639	25,899	24,044	16,000	4,720	1,33,778

सामाजिक अंकेक्षण से सुदृढ़ आजीविका

मध्यप्रदेश की लगभग 72 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अतः स्पष्ट है कि प्रदेश के विकास की कल्पना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना अधूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं का विकास जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है ग्रामीणों के पास आजीविका के पर्याप्त साधन। सुदृढ़ आजीविका के साथ ही ग्रामीण जन मूलभूत सुविधाओं तक अपनी पहुंच बना सकते हैं।

मनरेगा की अवधारणा : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संचालित है। यह योजना ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। प्रदेश में इस योजना की मुख्य अवधारणा "रोजगार से आजीविका की ओर" है। मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत में निवासरत एक परिवार को जहां सड़क, पेयजल सुविधा, सिंचाई सुविधा, बागवानी आदि कार्यों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का मजदूरी का कार्य दिया जाता है, वहीं हितग्राहीमूलक कार्यों के माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका भी प्रदान की जा रही है। हितग्राहीमूलक कार्यों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को मजदूरी के इतर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना है। अधिक से अधिक मजदूरों द्वारा मजदूरी का काम छोड़ स्वरोजगार अपनाना ही मनरेगा योजना की सफलता का प्रमाण है। वर्ष 2013-14 तक मनरेगा योजना के तहत लगभग 01 करोड परिवारों को जॉबकार्ड वितरित किए गए हैं। वहीं वर्ष भर में लगभग 29 लाख परिवारों द्वारा इसके अंतर्गत कार्य किया गया है।

मनरेगा अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण : पंचायती राज अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को आवश्यकतानुसार कार्य का चिन्हांकन एवं कार्य प्रस्ताव तैयार करने का अधिकार प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य मुख्य रूप से ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि ग्रामीण जनों में भी इन कार्यों के प्रति स्वामित्व की

भावना रहे। स्वामित्व की भावना से तात्पर्य है कि ग्रामीण जन इन कार्यों की स्वयं के स्तर से निगरानी करें, कार्यों पर हो रहे व्यय का पूरा लेखा-जोखा समझें, कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें।

महात्मा गांधी नरेगा की धारा 17 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किए जाने का प्रावधान किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण समाज के द्वारा किए जाने वाला अंकेक्षण है जिसके तहत ग्रामीणों को उनके हित में किए गए कार्यों की निगरानी, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। शासन द्वारा सामाजिक अंकेक्षण को महत्व प्रदान करने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीण जन अपना उत्तरदायित्व समझें एवं नीतियों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक कार्य मनरेगा अंतर्गत हुए हैं, जिनमें सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक दोनों प्रकार के कार्य शामिल हैं। इन कार्यों की गुणवत्ता एवं महत्ता पर उनके उपयोगकर्ता अर्थात् ग्रामीण समाज की निगरानी की नितांत आवश्यकता है।

सामाजिक अंकेक्षण और आजीविका: म.प्र. शासन द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार निर्धारित की गई है कि इसमें ग्रामीण जन अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व ग्राम सभा को ही दिया गया है। ग्राम सभा अपने ही बीच से एक 07 सदस्यीय ग्राम संपरीक्षा समिति का चयन करती है। ग्राम सभा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए यह समिति क्रियान्वयन एजेंसी (ग्राम पंचायत) से कार्य संबंधी दस्तावेज प्राप्त करती है। समिति द्वारा भौतिक सत्यापन, मौखिक सत्यापन एवं दस्तावेज परीक्षण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को पुनः ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है। ग्राम सभा निष्कर्षों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होती है साथ ही किसी प्रकार का अपराध ज्ञात होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी प्रस्तावित कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम सामाजिक एनिमेटर द्वारा ग्राम संपरीक्षा समिति का सहयोग किया जाता है। प्रत्येक 05 ग्राम पंचायतों में 01 ग्राम सामाजिक एनिमेटर की व्यवस्था है। ग्राम सामाजिक एनिमेटर के रूप में ऐसे युवाओं का चिन्हांकन किया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र के ही निवासी हों साथ ही उन्हें योजनाओं का ज्ञान और सामाजिक कार्य में रुचि हो। इन युवाओं को एक निश्चित दर पर पारिश्रमिक भुगतान का भी प्रावधान है, इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा स्थानीय युवाओं को आजीविका प्राप्त हो रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में लगभग 450 ग्रामीण युवाओं का चिन्हांकन ग्राम सामाजिक एनिमेटर के रूप में किया गया, जिन्होंने सामाजिक अंकेक्षण में सक्रिय भूमिका निभाई है।

कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक अंकेक्षण एक "पोस्ट मॉर्टम" प्रक्रिया है अर्थात् कार्य के उपरांत उस कार्य का मूल्यांकन करने वाली प्रक्रिया, किन्तु वास्तव में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योजना से जुड़े हुए कई तथ्य सामने आते हैं। सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसा मंच है जहां ग्रामीणों को उनकी आवश्यकता एवं समस्या की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। योजना के प्रति उनकी संतुष्टि एवं सुधार को वह व्यक्त कर पाते हैं, जो योजना क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। किसी भी योजना की सफलता उसके लक्षित समूह की संतुष्टि पर आधारित होती है और उस समूह को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है कि समूह द्वारा ही योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जावे। कई बार ग्रामीण योजनाओं की जानकारी के अभाव में योग्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से उन्हें योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, वह यह निर्धारित करने में सक्षम होते हैं कि वह किन कार्यों के माध्यम से अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकते हैं। चूंकि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में समाज के समस्त वर्गों की भागीदारी होती है, अतः समाज से व्याप्त असमानता समाप्त होती है।

● **अभय पाण्डे**

मतदान केन्द्रों की स्थापना तथा चयन के लिये मार्गदर्शी निर्देश

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2014 के लिये मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन के लिये आयोग द्वारा मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतदाता-सूची के प्रत्येक भाग, क्रमांक में सम्मिलित मतदाताओं के लिये एक पृथक मतदान-केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये। यदि वार्ड में मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण उसे भागों में विभक्त नहीं किया गया है, तो सम्पूर्ण वार्ड के लिये केवल एक मतदान केन्द्र रहेगा।

प्रत्येक वार्ड के लिये स्थापित मतदान-केन्द्र यथा-संभव उसी वार्ड की भौगोलिक सीमा के अंदर होना चाहिये।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने 7 जुलाई को भोपाल में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जहाँ तक संभव हो मतदान केन्द्र शासकीय कार्यालय या नगरपालिका/शासकीय उपक्रम के स्वामित्व या आधिपत्य के भवनों अथवा शासकीय विद्यालयों या शासन से सहायता प्राप्त विद्यालयों अथवा संस्थाओं के भवनों में स्थापित किया जाना चाहिये। जहाँ तक संभव हो कोई मतदान-केन्द्र निजी भवन या परिसर में स्थापित नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु जहाँ ऐसा करना अपरिहार्य हो, वहाँ भवन स्वामी की लिखित सहमति लेकर, भवन अल्पकालिक अवधि के लिये अधिगृहीत किया जाना चाहिये। निजी भवन के अधिग्रहण में यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि भवन का स्वामी अथवा अधिवासी, नगरपालिका निर्वाचन में खड़ा कोई अभ्यर्थी या उसका कार्यकर्ता न हो तथा किसी राजनैतिक दल से संबंधित न हो।

कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थानों, चिकित्सालयों, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में स्थापित नहीं किया जाना चाहिये। वार्ड में पूर्व से जिन भवनों में नगरपालिका तथा लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन के लिये मतदान-केन्द्र स्थापित किये जाते रहे हों यथासमय वहीं मतदान-केन्द्र स्थापित किये जायें। इससे मतदाताओं को अपने मतदान-केन्द्र का पता लगाने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाये कि इन मतदान-केन्द्रों की भौतिक अवस्था अच्छी हो।

मतदान-केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय न हो। वृद्धों तथा विकलांग व्यक्तियों को परेशानी से बचाने के लिये जहाँ तक संभव हो, मतदान-केन्द्र भवन के भू-तल पर स्थापित किये जायें। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों का प्रवेश आसान बनाने के लिये रेम्प उपलब्ध करवाये जायें।

मतदान-केन्द्रों के भवन का चयन भौतिक सत्यापन पश्चात् सुनिश्चित करें, जिससे उनकी स्थापना के पश्चात् परिवर्तन किये जाने की स्थिति निर्मित न हो। भवन चयन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिले के पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) स्थल निरीक्षण करें। मतदान-केन्द्रों के भवन का चयन शीघ्र कर सूची आयोग को भेजने के निर्देश भी दिये गये हैं।

नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने 18 दस्तावेज निर्धारित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मतदाता से आयोग द्वारा निर्धारित 18 दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज माँग सकता है। यदि मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय शासकीय विद्यालय के शिक्षक, उपलब्ध किसी शासकीय कर्मचारी अथवा किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करवाने के बाद, उसे मत देने के लिये अधिकृत कर सकता है।

सचिव राज्य निर्वाचन अधिकारी श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र, राशन-कार्ड/नीला राशन-कार्ड/पीला राशन-कार्ड, बैंक/किसान/डाकघर पास-बुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन. कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र (Student Identity Card), सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त आधार-कार्ड और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता-पर्ची पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य की जायेगी।

पंचायत उप चुनाव में

संशोधित डायरी का उपयोग करें पीठासीन अधिकारी

आगामी पंचायत उप निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी संशोधित डायरी का उपयोग करें। सरपंच के चुनाव के लिये उपयोग में ली जाने वाली ई.व्ही.एम. की फर्स्ट लेवल चेकिंग समय पर करें।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने यह निर्देश वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में पंचायत उप निर्वाचन एवं आम निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये।

श्री श्रीवास्तव ने कहा कि उप निर्वाचन में प्रशिक्षण और जन-जागरूकता अभियान के लिये दी गई ई.व्ही.एम. का उपयोग किया जाये। सभी पद के मत-पत्रों में नोटा का उल्लेख होना आवश्यक है। उप निर्वाचन में ई.व्ही.एम. का रेण्डमाइजेशन नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी सामग्री आयोग से समय पर प्राप्त करें।

श्री श्रीवास्तव ने कहा कि आगामी पंचायत आम निर्वाचन के लिये विकासखंडवार रिटर्निंग ऑफिसर बनाये जायेंगे। डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जिलों में की जा रही निर्वाचन संबंधी कार्यवाही की तुरन्त ऑनलाइन एण्ट्री करें। ई.व्ही.एम. के भण्डारण कक्ष की मरम्मत अतिशीघ्र करवायी जाये। उन्होंने केम्पस एम्बेसेडर के संबंध में जानकारी भेजने और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का प्लान भेजने को भी कहा।

पंचायत उप निर्वाचन में ई.व्ही.एम. से होगा सरपंच का चुनाव

पंचायत उप निर्वाचन- (पूर्वार्द्ध) 2014 में सरपंच पद का चुनाव ई.व्ही.एम. से करवाया जायेगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश 10 जुलाई को कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किये जा चुके हैं। उप निर्वाचन में सरपंच के अलावा अन्य पदों का निर्वाचन मत-पत्र से होगा। सरपंच के निर्वाचन में आयोग द्वारा प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से जिले को उपलब्ध करवाई गई ई.व्ही.एम. का उपयोग किया जायेगा। ई.व्ही.एम. से निर्वाचन के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम-1995 में व्यापक संशोधन किये गये हैं। यदि जिले में उपलब्ध ई.व्ही.एम. की संख्या सरपंच के रिक्त पदों से कम हो, तो प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक सरपंच के पद का निर्वाचन ई.व्ही.एम. से करवाने के निर्देश आयोग द्वारा दिये गये हैं।

नोटा का विकल्प उपलब्ध रहेगा : आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन में मतदाताओं को "इनमें से कोई नहीं" (नोटा) का विकल्प उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने निर्देशित किया है कि मत-पत्र में अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मत-पत्र में अंकित किया जाये। ई.व्ही.एम. की प्रथम-स्तरीय जाँच के लिये जिले के प्रशिक्षित मास्टर-ट्रेनर्स को अधिकृत किया गया है।

पंचायत निर्वाचन में भी अभ्यर्थियों से भरवाया जायेगा शपथ-पत्र

विधानसभा निर्वाचन की तरह आगामी पंचायत आम निर्वाचन में अभ्यर्थियों से नामनिर्देशन-पत्र के साथ शपथ-पत्र लिया जायेगा। गैर-राजनैतिक सामाजिक संगठन चुनाव के पूर्व, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी स्थानीय स्व-शासन को मजबूत करने के लिये काम करेंगे। यह बातें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम (सेन्स) में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और गैर-राजनैतिक सामाजिक संगठनों के साथ हुई परिचर्चा में बताई गई।

आयोग के उप सचिव श्री बुद्धेश वैद्य ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया एवं कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संगठन त्रुटिरहित मतदाता सूची बनवाने में सहयोग करें। श्री वैद्य ने बताया कि सिर्फ पंच का चुनाव मत पत्र से होगा। जिला और जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद का चुनाव ईवीएम से होगा। इस चुनाव में मतगणना विकासखण्ड, तहसील और जिला स्तर पर की जायेगी। पहले मतदान केन्द्र पर ही मतगणना होती थी। अवर सचिव सुश्री शीला दाहिमा ने बताया कि जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मतदाता जागरूकता अभियान का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। पंचायत पदाधिकारियों को नई ईव्हीएम से परिचित करवाने के लिये पंचायतों की साधारण सभा की बैंकों में ईव्हीएम का प्रदर्शन करवाया जा रहा है।

सीईओ जिला पंचायत होंगे 'सेंस के नोडल अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये उठाये गये नये कदमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये मतदाता जन-जागरूकता अभियान (सेंस) का नोडल अधिकारी; मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी कलेक्टर के मार्गदर्शन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, मीडिया और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से जन-जागरूकता अभियान का क्रियान्वयन करेंगे। वे आवश्यकतानुसार बैठक कर जिला-स्तर पर प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियों का अनुश्रवण करेंगे।

पंचायत एवं नगरीय निकायों की साधारण सभा में होगा ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन

प्रदेश के सभी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद्, जिला पंचायत और जनपद पंचायत की साधारण सभा की बैठकों में ई.व्ही.एम. के संचालन का प्रदर्शन किया जायेगा। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने 15 जुलाई को भोपाल में सभी कलेक्टरों को इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन फोटोयुक्त मतदाता-सूची एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाया जायेगा। जन-प्रतिनिधियों को नवीन ई.व्ही.एम. मशीन के उपयोग के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

फोटोयुक्त मतदाता-सूची में स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित

आगामी पंचायत निर्वाचन के लिये बनायी जा रही फोटोयुक्त मतदाता-सूची एवं प्रचार-प्रसार के कार्य में स्वैच्छिक संस्थाएँ सक्रिय भूमिका निभायें। संस्थाएँ पात्र मतदाताओं को मतदाता-सूची में नाम जुड़वाने के लिये प्रेरित करें। यह बात 15 जुलाई को भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव श्री बुद्धेश वैद्य ने यह बात सिविल सोसायटी आर्गनाइजेशन- स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ हुई बैठक में कही। बैठक में मध्यप्रदेश स्व-शासन अभियान में कार्य समूह, सामग्री निर्माण समूह, स्वैच्छिक समुदाय से समन्वय, मीडिया एवं वातावरण निर्माण और कार्यक्रम समन्वय समूह के संबंध में चर्चा हुई।

ग्राम पंचायत सचिवों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति

मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति बनाई गई है। नवीन स्थानान्तरण नीति के तहत ग्राम पंचायत सचिवों के शत-प्रतिशत स्थानान्तरण 1 अगस्त 2014 से 20 अगस्त 2014 तक की अवधि में किये जायेंगे। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 24.07.2014

क्रमांक/एफ-1-6/2011/22/पं.-1 - राज्य शासन द्वारा जारी ग्राम पंचायत सचिव की स्थानान्तरण नीति 18 जून 2013 एतद् द्वारा अधिक्रमित करते हुए नवीन स्थानान्तरण नीति निम्नानुसार जारी की जाती है :-

1. जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के शत-प्रतिशत स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर 01 अगस्त 2014 से 20 अगस्त 2014 की अवधि में किए जाएंगे। किन्तु पैतृक ग्राम पंचायत में किसी सचिव को पदस्थ नहीं किया जाएगा।
2. ग्राम पंचायत सचिव का स्थानान्तरण कार्यरत जनपद पंचायत के भीतर ही निकटस्थ ग्राम पंचायत में किया जाएगा।
3. स्थानान्तरण आदेश जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किए जाएंगे।
4. यदि पति-पत्नी दोनों ग्राम पंचायत सचिव हैं तो दोनों को आस-पास नजदीकी ग्राम पंचायतों में पदस्थ किया जाए।
5. निशक्त, विधवा/परित्यक्ता और गंभीर बीमारी जैसे :- कैंसर, हृदय रोगी, किडनी आदि से पीड़ित व्यक्ति को गृह निवास की सीमा से जुड़ी ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित किया जाए।
6. जिले के भीतर एक जनपद पंचायत से अन्य जनपद पंचायत में दोनों जनपद पंचायत की सहमति से ग्राम पंचायत सचिव का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
7. यदि किसी सचिव का रिश्तेदार ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच हो जाता है तो सचिव का स्थानान्तरण अन्य ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।
8. ग्राम पंचायत सचिव के स्थानान्तरण/निरस्तीकरण/संशोधन आदेश प्रशासकीय हित में विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत आयुक्त, पंचायत राज म.प्र. द्वारा कभी भी किए जा सकेंगे।
9. स्थानान्तरण आदेश उपरांत संबंधित सचिव, ग्राम पंचायत के सहायक सचिव अर्थात् ग्राम रोजगार सहायक को प्रभार सौंपकर तीन दिवस में अनिवार्य रूप से भारमुक्त होंगे तथा नवीन पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत में अपनी उपस्थिति लिखित में देंगे और एक प्रति संबंधित जनपद पंचायत को सरपंच के माध्यम से भेजेंगे।

(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश